



# आभारोक्ति

पूरे भारत के राज्यों की शहरी शासन-प्रणाली के अध्ययन के बाद प्रजा ने इन आंकड़ों को संकलित किया है। अतः उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करना बेहद महत्वपूर्ण है जिन्होंने शहरी शासन-प्रणाली से संबंधित इस अध्ययन में भाग लिया तथा हमारा मार्गदर्शन किया, और ऐसे लोगों में पूरे भारत के सभी राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि (महापौर, विधायक, पार्षद), राज्य / शहर के प्रशासनिक अधिकारी, अलग-अलग तबके के लोग, शिक्षाविद एवं नागरिक समाज संगठन शामिल हैं।

प्रजा फाउंडेशन अपने सभी सहयोगियों एवं अनुदानकर्ताओं, अर्थात् ट्री फॉर लाइफ फाउंडेशन, फ्रेडरिक नॉमैन फाउंडेशन, नरोत्तम सेखसरिया फाउंडेशन और मधु मेहता फाउंडेशन तथा व्यक्तिगत तौर पर सहयोग प्रदान करने वाले सभी लोगों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना करता है। उनके सहयोग की वजह से ही हमारे लिए इस अध्ययन को पूरा करना तथा शहरी शासन-प्रणाली पर इस रिपोर्ट को प्रकाशित करना संभव हो पाया है।

हम नागरिक की टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्हें प्रजा द्वारा भारत के भिन्न शहरों में 74वें संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन के मानचित्रण से संबंधित अध्ययन का दायित्व सौंपा गया था।

इस पूरे अध्ययन में ज्ञान सहयोगी के तौर पर शामिल होने के लिए हम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं।

हम अपने सलाहकारों एवं न्यासियों के समूह को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, और अंत में पर समान रूप से महत्वपूर्ण योगदान देने वाली प्रजा की टीम के समस्त सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे, जिनके सतत प्रयासों की वजह से ही शहरी शासन-प्रणाली पर इस रिपोर्ट को पूरा करना संभव हो पाया।



# सूची


<b>आभारोक्ति</b>	<b>1</b>
<b>प्रजा का परिचय</b>	<b>5</b>
<b>कार्यकारी सारांश</b>	<b>7</b>
1. प्रजा द्वारा शहरी शासन-प्रणाली का अध्ययन तथा इसकी कार्यपद्धति	11
1.1 शहरी शासन - वर्तमान संदर्भ	12
1.2 कार्यप्रणाली	13
1.3 शहरी शासन अध्ययन की स्थिति	16
<b>2. शहरी शासन-प्रणाली के अध्ययन की रूपरेखा</b>	<b>17</b>
2.1 अनुषांगिकता का सिद्धांत	18
2.2 प्रजा की शहरी शासन-प्रणाली के सशक्तिकरण रूपरेखा	19
<b>3. कार्यो और पदाधिकारियों के नियंत्रण और कार्यान्वयन</b>	<b>20</b>
3.1 18 कार्यो का सामान्य वर्गीकरण	21
3.2 18 कार्यो के हस्तांतरण की स्थिति	24
3.3 शहर की सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य	25
3.4 एकाधिक एजेंसियों की मौजूदगी	26
3.5 असत्यापित विवरण- नियंत्रण के संदर्भ में 18 कार्यो का वितरण	27
3.6 स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) में शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व	28
3.7 शहर की सरकारों में मानव संसाधन की स्थिति	30
3.8 शहर की सरकारों में कर्मचारियों की नियुक्ति	33
<b>4. सशक्त और उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि</b>	<b>34</b>
4.1 महापौर का सशक्तिकरण	35
4.2 निगम-पार्षदों का सशक्तिकरण	37
4.3 असत्यापित विवरण- विषय-विचारिणी समिति	38
4.4 असत्यापित विवरण- पार्षदों के लिए मानदेय / पारिश्रमिक	39
4.5 उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि	40
4.6 जिला नियोजन समिति	43

<b>5. राजस्व का विकेंद्रीकरण</b>	<b>45</b>
5.1 नगर निगम द्वारा कर-निर्धारण	46
5.2 राज्य वित्त आयोग की स्थिति	47
5.3 सकल राजस्व मेसे स्वयं के राजस्व की भागीदारी	48
5.4 संपत्ति कर राजस्व आय का प्रमुख स्रोत है	49
5.5 असत्यापित विवरण- राजस्व के स्रोत	50
5.6 शहर की सरकार की बजट निर्माण प्रक्रिया	51
5.7 शहर की सरकार के बजट की स्वीकृति	52
5.8 असत्यापित विवरण- तैयारी से लेकर बजट निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया	53
5.9 शहर की सरकार को वित्तीय अनुमोदन का अधिकार	54
<b>6. सक्रिय जनभागीदारी तथा नागरिक शिकायत निवारण तंत्र</b>	<b>57</b>
6.1 वार्ड समिति की स्थिति	58
6.2 क्षेत्रीय सभा की स्थिति	59
6.3 सक्रिय जनभागीदारी	60
6.4 नागरिक अधिकार-पत्र	61
6.5 नागरिक शिकायत निवारण तंत्र	62
<b>7. संलग्नक</b>	<b>64</b>
7.1 संलग्नक 1 - राज्यों का प्रालेख	65
7.2 संलग्नक 2 - शहरों का प्रालेख	67
<b>8. सहभागी</b>	<b>68</b>

# प्रजा का परिचय



प्रजा एक निष्पक्ष संगठन है, जो वर्ष 1999 से शासन-प्रणाली को उत्तरदायी बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रजा आम जनता को शासन-प्रणाली के संदर्भ में जानकारी एवं दृष्टिकोण प्रदान करके उन्हें शासन-प्रणाली में भाग लेने के योग्य बनाता है, ताकि वे राजनीतिक रूप से सक्रिय हो सकें और मतदान-पेटी से परे जाकर भी इस प्रणाली से जुड़ सकें। यह बड़े पैमाने पर शोध करने के साथ-साथ नागरिकों से जुड़े मुद्दों को उजागर करते हुए लोगों के बीच जागरूकता फैलाता है, तथा सरकार एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों (ERs) को उन मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है।





# कार्यकारी सारांश

प्रजा फाउंडेशन द्वारा शहरी शासन पर राष्ट्रीय परामर्श 22 और 23 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस परामर्श में 20 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के महापौर, पार्षद, विधान सभा के सदस्य (MLAs), नगर निगम के अधिकारी, नागरिक समाज के संगठन और शिक्षाविद शामिल थे। यह परामर्श 21 राज्यों में प्रजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित शहरी शासन सुधार अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों को प्रसारित करने का एक मंच था। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में शहरी शासन प्रणाली को समझने और आवश्यक सुधार की कार्यसूची का निर्माण करना था। शहरी सरकार के सशक्तीकरण के लिए शहरी शासन पर प्रजा के ढांचे के चार विषयों - (i) कार्यों एवं कार्यकारियों का नियंत्रण और निष्पादन; (ii) सशक्त और जवाबदेह निर्वाचित प्रतिनिधि; (iii) राजकोषीय विकेंद्रीकरण और (iv) सक्रिय नागरिक भागीदारी और नागरिक शिकायत निवारण तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए विषय विशेषज्ञों की चर्चाओं के माध्यम से सहभागियों ने प्रतिभाग किया। इन विषयों पर आयोजित चर्चाओं का सारांश, जिसमें मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है और कई हितधारकों द्वारा देश में शहरी शासन की वर्तमान प्रणाली से संबंधित निष्कर्ष निम्नवत है:

## कार्यों एवं कार्यकारियों का नियंत्रण और निष्पादन

इस विषय पर देश में शहरी सरकारों के सशक्तीकरण की कमी पर केंद्रित चर्चा की गयी। कई लोगों ने कहा कि शहर की सरकारें स्वायत्तता के साथ काम नहीं करती हैं क्योंकि उनके पास प्राथमिक शहरी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। एक सामान्य मुद्दा यह था कि शहर में सक्रिय कई एजेंसियों का अस्तित्व समन्वय मुद्दों की ओर अग्रसर था। इसके अलावा, हितधारकों ने शहरी सरकारों के प्रति इन कई एजेंसियों की जवाबदेही की कमी पर जोर दिया। ये एजेंसियां शहर में विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा गठित की जाती हैं। प्रजा के 21 शहरों में किये गए अध्ययन से पता चला कि 18 कार्यों (जैसा कि 74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की बारहवीं अनुसूची में निर्दिष्ट है) में से 7 कार्यों में कई एजेंसियों की भागीदारी रही। प्रतिभागियों ने यह भी कहा कि शहरी सरकारों के पास शहरी योजनाओं को लागू करने या संसाधनों की अत्याधिक कमी के कारण बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को संभालने की क्षमता का अभाव है। शहरी सरकारों को परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राजस्व की कमी का सामना करना पड़ रहा है और कार्य करने के लिए आवश्यक मानव संसाधनों की कमी भी प्रजा के अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक थी।

## मुख्य सुझाव:

- केंद्र और राज्य सूचियों के अनुरूप शहरी सरकारों के लिए विशिष्ट कार्यों की एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य स्थानीय सूची बनाएं।
- विधायी और प्रशासनिक कामकाज में सुधार लाने के लिए शहरी सरकारों की क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को संस्थागत बनाएं।
- राज्य सरकार और शहरी सरकार के बीच मौजूदा समन्वय प्रणालियों में आवश्यक प्रणालीगत परिवर्तन खोजें, जहां कार्यों पर नियंत्रण और संबंधित शक्तियों को शहरों में स्थानांतरित किया जाता है, जबकि शहरों की निगरानी और नियंत्रण की जवाबदेही राज्य के साथ हो।
- शहरी सरकारों को बारहवीं अनुसूची, 74 वें सीए और अन्य महत्वपूर्ण शहरी कार्यों में निर्दिष्ट सभी 18 कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखने की आवश्यकता है जिन्हें शहर के स्तर पर योजना और क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।
- शहर में कई एजेंसियों के बीच समन्वय के मुद्दे को खत्म करने के लिए शहर में परियोजनाओं को निष्पादित करने वाली कई एजेंसियों पर विनियामक नियंत्रण का इस्तेमाल करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए शहरी सरकार को अधिकृत करने की आवश्यकता है।

## सशक्त और जवाबदेह निर्वाचित प्रतिनिधि

इस सत्र की चर्चा का मुख्य विषय बना शहरी सरकारों के विधायी पक्ष के पास सीमित शक्तियां। नवनिर्वाचित पार्षदों की सीमित क्षमता और चुनौतियां, सामान्य रूप से पार्षदों को आवंटित कम पारिश्रमिक और वार्ड विकास के लिए निधियां, मेयरों के पास सीमित शक्तियां मुख्य रूप से प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक रूप से उजागर की गईं। हितधारकों ने महापौर के लिए अधिकारियों के निलंबन और आयुक्त की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट दाखिल करने जैसी शक्तियाँ रखने के लिए सहमति दी। कुछ प्रतिभागियों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि अक्सर पार्षदों को उनके संबंधित मुद्दों या काम को हल करने के लिए सीमित सहायता मिलती है जबकि आयुक्तों और कलेक्टरों को स्वयं के हितों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के आदेशों को लागू करने के अधीन किया जाता है।

दूसरी ओर, यह चर्चा हुई कि पार्षद, एक विधायक या सांसद की तुलना में नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हैं। विशिष्ट एजेंसियों या विशेष प्रयोजन समिति के पास नागरिकों के लिए जवाबदेह होने के लिए कोई विधायी मंच नहीं है और इसलिए शहरी सरकारें शिकायतों को उठाने के लिए नागरिकों के पास एकमात्र सुलभ इकाई हैं।

### मुख्य सुझाव:

- पार्षद को जिस क्षेत्र के वे प्रतिनिधि हैं उससे सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उन्हें विभाजित हितों को छोड़ कर एकजुट होकर अपनी अधिकारों एवं शक्तियों की मांग करनी चाहिए।
- चुने हुए प्रतिनिधियों को बजट, संबंधित भूमिकाओं व जिम्मेदारियों और परिषद व समिति की कार्यवाही के उपनियमों पर विशेष ध्यान देने के साथ नगरपालिका शासन के कामकाज पर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- शहरी सरकार को समग्र रूप से सशक्त करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों के अलावा युवा नेताओं को लाने के लिए तंत्र बनाएं जाये जो वर्तमान नगरपालिका शासन प्रणाली को बदलने के लिए महत्वाकांक्षी हों।

### राजकोषीय विकेंद्रीकरण

इस विषय पर शुरुआती दौर में देश में राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिकांश एसएफसी के किसी भी पूर्वानुमानित नियम-आधारित फॉर्मूले का पालन न करने के लिए शहरी सरकार को फंड ट्रांसफर करने और सिफारिशों को सख्ती से पालन नहीं करने का मुद्दा उजागर किया गया था। उल्लेखित एक अन्य चुनौती यह थी कि एसएफसी अनुदान ज्यादातर नियंत्रित अनुदान होते हैं, जिनमें ऐसी शर्तें निर्दिष्ट होती हैं जो शहरी सरकार की कार्ययोजनाओं के अनुरूप नहीं होती हैं, अंततः सरकारों के लिए उक्त अनुदानों का उपयोग करना मुश्किल साबित होता है।

शहरी सरकार द्वारा कर संग्रह और कवरेज बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसा तंत्र विकसित किया जाये कि शहर के ऐसे नए नागरिक जो अन्य ग्राम या शहरों से पलायन कर के आये हो उन्हें भी कर संचयन के दायरे में लाया जाये।

साथ ही, कर दरों में संशोधन और बजट की अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार पर शहरी सरकारों की भारी निर्भरता की ओर इशारा करते हुए चर्चा हुई। प्रजा के अध्ययन से पता चला कि 21 राज्यों में से केवल एक राज्य ही ऐसा है जिसकी शहरी सरकारों ने कर दरों पर नियंत्रण रखने के लिए स्वतंत्र नियंत्रण रखा है। 10 राज्यों में शहरी सरकार अपने बजट की अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार पर निर्भर हैं।

### मुख्य सुझाव:

- SFC का गठन ऐसे हितधारकों और सदस्यों के द्वारा किया जाना चाहिए जिनके पास विषय वस्तु पर अनुभव हो।
- आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए शहरी सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले करों पर एक संवैधानिक जनादेश लाना।
- राजकोषीय मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए सीएसआर फंडिंग के माध्यम से अनुदान के उपयोग के लिए इंदौर नगर निगम के उदाहरण का पालन करें।
- राज्य सरकारों को राज्य के बजट प्रावधानों में नगर पालिकाओं को अनुदान आवंटित करने की आवश्यकता है, जिससे शहरी सरकारों को हस्तांतरित किए जाने वाले निश्चित अनुदान सुनिश्चित हो।
- शहरी सरकारों को केंद्र और राज्य सरकारों से पूर्वानुमेय नियम-आधारित तरीके से अनुदान प्राप्त करने की आवश्यकता है और उन्हें अपने स्वयं के संसाधन जुटाने के लिए शक्तियों के साथ अधिकृत किया जाना चाहिए।

### सक्रिय नागरिक भागीदारी और नागरिक शिकायत निवारण तंत्र

नगरपालिका चुनावों में कम रुचि रखने वाले, अपने वार्ड पार्षद के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से अनभिज्ञ और शहरी सरकारों और राज्य सरकारों के बीच कार्यों के विभाजन के कारण जवाबदेही के मुद्दे को अधिकांश नागरिकों के लिए मुख्य मुद्दों के रूप में उजागर किया गया था। इसलिए, सबसे पहले, नागरिकों को अपने पार्षदों और उन प्लेटफार्मों के बारे में पता होना चाहिए जो अपनी चिंताओं या मुद्दों जैसे कि वार्ड समितियों आदि को बढ़ाने के लिए उपलब्ध हैं। प्रतिभागियों ने कहा कि वार्ड समितियां या आरडब्ल्यू जैसे मंच न केवल निगरानी के उद्देश्य से हैं बल्कि नए रचनात्मक सुझावों को लाने की भी अनुमति देता है जिन्हें पार्षद

अपना सकते हैं। शहरों में नागरिक जुड़ाव के लिए इन प्लेटफार्मों का गठन करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रतिभागियों ने टिप्पणी की कि नागरिकों को चुनाव में सिर्फ वोट देने के बजाय भाग लेने का भी अधिकार है।

एक और मुख्य चिंता यह थी कि अगर वार्ड समितियों या नागरिक चार्टरों का गठन नहीं किया जाता है तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए, ऐसे सुझाव थे कि जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तरीका सार्वजनिक पहुंच के लिए वार्ड समिति की बैठकों के मिनट अपलोड करना है। इसने जनता के लिए डेटा पारदर्शिता की आवश्यकता की चर्चाओं पर बल दिया जैसे कि वार्ड के अनुसार बजट, गतिविधियों, परियोजनाओं, पंजीकृत शिकायतों को दर्ज करने और बंद करने, काउंसिल और वार्ड समिति की बैठकों की मिनटों की जानकारी आदि। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि सामुदायिक रिक्त स्थान, मनोरंजक स्थान, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय मुद्दों पर नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर एक दिलचस्प टिप्पणी की गई।

### मुख्य सुझाव:

- एक आसान और सुलभ रूप में मौजूद महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सार्वजनिक डेटा नागरिकों को जागरूक होने और सुझाव, समाधान या प्रतिक्रिया प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।
- सेवाओं के वितरण पर पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के संवैधानिक जनादेश को सक्रिय रूप से लागू करें।
- उद्धृत किए गए उदाहरणों में शामिल हैं:
  - दिल्ली में आरडब्ल्यूए की एकीकृत और प्रभावशाली भूमिका
  - आंध्र प्रदेश की योजना जो नागरिकों को सेवा स्तर समझौतों (SLAs) के पालन न करने के मामले में पैसे का मुआवजा देती है साथ ही एक प्रभावी शिकायत ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली जवाबदेही को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल की जा रही।
  - पुणे नगर निगम द्वारा पारदर्शिता दिवस जैसी पहल, जिसमें नागरिक सीधे अधिकारियों से मिल सकते हैं और प्रासंगिक रिकॉर्ड आदि का उपयोग कर सकते हैं और शहरों में कॉर्पोरेट अवाई का आयोजन शहर के नगरसेवकों के बीच प्रदर्शन के सुधार के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।

### सार संक्षेप

विषयगत चर्चाओं में सर्व सम्मति से यह निष्कर्ष निकला कि शहर आर्थिक परिवर्तन के केंद्र हैं, इसलिए प्रस्तावित किया गया कि शहरों में सकारात्मक विकास संबंधी परिवर्तन लाने के लिए शहरी सरकारों को मजबूत बनाने के साथ मजबूत राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण हो। दूसरी ओर, नागरिकों को मांग के अनुसार जवाबदेही के लिए दबाव बनाने की आवश्यकता है। शहरी सरकारों को कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखने में सक्षम बनाना और उन्हें जवाबदेह ठहराना भी महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से एक था। हितधारकों ने समग्र रूप से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जहां तक 74 वें संविधान संशोधन का संबंध है, संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।

### मुख्य सुझाव:

- शहरी सरकारों में राजनीतिक नेताओं के लिए एक स्थान होना अनिवार्य करना।
- शहरी सरकारों के हाथों में समग्र नियंत्रण के साथ योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग।
- व्यापक दीर्घकालिक दृष्टि से शहर की योजनाओं को तैयार किया जाये जो अच्छी तरह से एकीकृत हो जिनका राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य प्रावधान हो जिसे सरकारों में बदलाव के बावजूद सख्ती से पालन किया जाए।

समग्रता, नए सुधारों को शक्तियों के प्रत्यायोजन, कार्यों के हस्तांतरण, राज्य सरकारों और शहर सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय तंत्र पर ध्यान केंद्रित करने और राजस्व बढ़ाने और संसाधनों के संवर्द्धन के लिए सक्रिय विकेंद्रीकृत शहर प्रशासन को सक्षम करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।



01



# प्रजा द्वारा शहरी शासन-प्रणाली का अध्ययन तथा इसकी कार्यपद्धति

## 1.1 शहरी शासन - वर्तमान संदर्भ

भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया बेहद तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। भारतीय शहरों का जिस गति से विस्तार हो रहा है, उससे शहरी शासन-प्रणाली के समक्ष कई अहम चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। वर्ष 1991 में भारत की शहरी आबादी, कुल जनसंख्या का 26% थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 31% हो गई। अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत की 40% से अधिक आबादी शहरों में रह रही होगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या भारत में शहरी शासन-प्रणाली की मौजूदा संरचना बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करने तथा हमारे शहरों में भविष्य की समस्याओं से निपटने हेतु तैयार करने में सक्षम होगी। वर्तमान में, शासन प्रणाली में लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का अभाव है तथा अपने नागरिकों की जरूरतों के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है साथ ही निश्चित तौर पर यह व्यवस्था भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अतः भारतीय शहरों की शासन प्रणाली तथा प्रबंधन के तरीके को यथाशीघ्र पूरी तरह से बदलना अत्यावश्यक हो गया है ताकि उन्हें अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी, जवाबदेह और अपने नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके।

प्रजा फाउंडेशन ने 74 वें संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन के साथ-साथ शहर की शासन व्यवस्था के समक्ष मौजूद चुनौतियों को अच्छी तरह समझने और उसके बाद नीतिगत बदलावों के पक्षसमर्थन हेतु परियोजना शुरू की जिससे भारतीय शहरों की शासन व्यवस्था में बदलाव आएगा। दरअसल इस परियोजना का स्वरूप बहु-वर्षीय है, जिसमें अनुसंधान द्वारा एक नेटवर्क बनाने और परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारशिला तैयार की जायेगी।

मार्च 2020 तक, सभी राज्यों में शहरी-व्यवस्था में सुधार की स्थिति से संबंधित आंकड़े दर्ज करने, प्रोत्साहन देने वाले कारकों एवं बाधाओं की पहचान करने, तथा अनुशंसाओं की पहचान करने के लिए हम शहरी शासन-प्रणाली में सुधार के विषय पर अध्ययन करेंगे।

अपने अध्ययन के जरिए हम 'शहरी शासन-प्रणाली सूचकांक' का निर्माण करेंगे तथा देश के सभी राज्यों में शहरी शासन-प्रणाली की स्थिति का मानचित्रण करेंगे।

इस अध्ययन के एक हिस्से के रूप में, हम मानचित्र तैयार कर के देश के सभी राज्यों में मौजूद विभिन्न हितधारकों के साथ मिल कर के एक ऐसे नेटवर्क का निर्माण करेंगे, जिसका उद्देश्य जानकारी साझा करना; हितधारकों को साधन-संपन्न बनाना; सभी हितधारकों को गतिमान करना; तथा नीतिगत बदलावों का पक्षसमर्थन करने के लिए एक मंच तैयार किया जा सकेगा।


संक्षेप में, यह परियोजना शहरी शासन-व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाने तथा सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए संरचनात्मक एवं प्रणालीगत स्तर पर नीतियों में बदलाव को प्रभावित करके, शहरी शासन को एक 'स्मार्ट सिटी' को 'स्मार्ट तरीके से संचालित शहर' के रूप में परिवर्तित करने में सक्षम बनाएगी।”



### 74 CAA के कार्यान्वयन का मानचित्रण क्यों जरूरी है?

पूरे भारत के नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए वर्ष 1992 में 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम (CAA) पारित किया गया था। 74वें संशोधन में शहरी स्थानीय शासन-प्रणाली की शक्तियों एवं कार्यों को विकसित करने का प्रावधान है ताकि उन्हें स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाया जा सके। हालांकि 74वें संशोधन को लागू हुए 25 वर्षों से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी शक्तियों के हस्तांतरण तथा शहरी शासन-व्यवस्था की क्षमता का पूरी तरह मानचित्रण नहीं किया गया है। जो कानून बनाया गया है (विधिक तौर पर) और जमीनी स्तर पर जो हो रहा है (वास्तविकता) इसके बीच के अंतर को समझने के लिए जानकारी का संकलन आवश्यक है।

## 1.2 कार्यप्रणाली (1/3)



## 1.2 कार्यप्रणाली (2/3)

### उद्देश्य: 74वें संशोधन के कार्यान्वयन तथा नगरपालिका के कार्यों का मानचित्रण :

1. विभिन्न नगरपालिकाओं की मौजूदा संस्थागत संरचनाओं की पहचान करना।
2. नगरपालिकाओं के अंतर्गत विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों (निर्वाचित एवं प्रशासनिक) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पहचान करना।
3. 18 कार्यों तथा उनके निष्पादन में शहरी सरकारों एवं राज्य के स्वामित्व वाले निकायों की भूमिका का मानचित्रण।
4. प्रशासनिक एवं निर्वाचित विभागों के प्रमुख सूचना प्रदाताओं की पहचान करना।



### राज्यों में 74वें CAA की रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन चरणों में अनुसंधान किया गया :

- सबसे पहले, संदर्भ को समझने के लिए मौजूदा रचनाओं व दस्तावेजों तथा प्रासंगिक नगरपालिका अधिनियमों का विस्तृत अध्ययन किया गया।
- दूसरे चरण में, राज्यों के विभिन्न हितधारकों के साथ परिचर्चा की गई एवं उनका साक्षात्कार किया गया। भारत के शहरों में विकेंद्रीकरण के अनुभव को समझने के लिए नागरिक की टीम ने विभिन्न शहरों का दौरा किया।
- और अंतिम चरण में, रिपोर्ट तैयार करने के लिए द्वितीयक अनुसंधान के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर पर प्राप्त अनुभवों को संपुष्ट किया गया।

### उद्देश्य: निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा शहर के कार्यकारी अधिकारियों के साथ साक्षात्कार

इस साक्षात्कार का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, शहर के कार्यकारी अधिकारियों एवं नागरिकों के दृष्टिकोण से शहरी शासन और विकास को समझने के लिए साक्ष्यों को एकत्रित करना है। इसके माध्यम से इन विभिन्न समूहों के बीच आपसी संबंधों का अन्वेषण किया गया है, साथ ही भारतीय शहरों के समक्ष मौजूद चुनौतियों की पहचान की गई है।

इस साक्षात्कार में निम्नलिखित विषय-वस्तुओं का अच्छी तरह अन्वेषण किया गया है:

1. शहरी शासन-प्रणाली: संरचना एवं कार्य;
2. नगरपालिका की वित्तीय स्थिति
3. जनभागीदारी और शिकायत निवारण तंत्र



### पार्षदों, नगरपालिका के अधिकारियों एवं विधायकों के साथ साक्षात्कार का आयोजन किया गया, जो नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

- सर्वप्रथम, हितधारकों का साक्षात्कार किया गया।
- दूसरा, मुख्य-विषयों और उप-विषयों की पहचान के बाद साक्षात्कारों का अनुलेखन किया गया।
- अंत में, शहरी शासन प्रणाली पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए विषयगत विश्लेषण और नागरिक टीम की रिपोर्टों से प्राप्त निष्कर्षों को शामिल किया गया।

इस रिपोर्ट में किया गया विश्लेषण नमूने के तौर पर चयनित प्रतिभागियों पर आधारित है।

- साक्षात्कार का स्वरूप गुणात्मक था तथा आंकड़ों में उन लोगों की संख्या को दर्शाया गया है जिन्होंने किसी विशेष मुद्दे पर प्रकाश डाला।
- यहां प्रस्तुत समाधानों में विभिन्न उत्तरदाताओं के विचारों को समाविष्ट किया गया है और ये प्रजा फाउंडेशन के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

## 1.2 कार्यप्रणाली (3/3)


### नमूने के गणना की पद्धति

- अध्ययन हेतु नमूने के आकार के लिए शहर में विधायकों की कुल संख्या के 10% या न्यूनतम 2 विधायक, जो भी अधिक हो, को ध्यान में रखा गया। इसी तरह, पार्षदों की कुल संख्या के 10% या प्रति विधायक न्यूनतम 3 पार्षदों, जो भी अधिक हो, से संपर्क किया। नीचे दी गई तालिका में अहमदाबाद एवं कोयम्बटूर के आंकड़ों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है :
- पार्षदों एवं विधायकों के चयन हेतु स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि का उपयोग किया गया। यह नमूना हर लिंग एवं विभिन्न पार्टियों से संबंधित उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है।
- नमूने में शामिल नहीं होने वाले उन सभी पार्षदों से संपर्क किया गया, जो महापौर/ उप महापौर, वार्ड समिति के अध्यक्ष, स्थायी समिति के अध्यक्ष, महापौर परिषद के सदस्य, महत्वपूर्ण वैधानिक समितियों के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं।
- सभी नगर आयुक्तों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, साथ ही नगरपालिका में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदों पर कार्यरत अधिकारियों के नमूने का यादृच्छिक आधार पर चयन किया गया

निर्वाचित प्रतिनिधि	गणना	उदाहरण अहमदाबाद	उदाहरण कोयम्बटूर
विधायकों की संख्या		16	2
पार्षदों की संख्या		192	100
विधायक	शहर में विधायकों की कुल संख्या का 10% या न्यूनतम 2 (जो भी अधिक हो)	2	2
पार्षद	पार्षदों की कुल संख्या के 10% (या प्रति विधायक न्यूनतम 3 पार्षदों, जो भी अधिक हो) से संपर्क किया	19	10
	प्रति विधायक 3 पार्षदों (या पार्षदों की कुल संख्या के 10%, जो भी अधिक हो) से संपर्क किया	2 x 3 = 6	2 x 3 = 6
कार्यकारी अधिकारी	प्रति 3 पार्षदों पर 1 कार्यकारी अधिकारी या न्यूनतम 3	3	3
	<b>नमूने का कुल आकार</b>	<b>24</b>	<b>15</b>

ऊपर दी गई तालिका में अहमदाबाद एवं कोयम्बटूर के आंकड़ों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है।

### 1.3 शहरी शासन अध्ययन की स्थिति



साक्ष्य एकत्र करना और शहरी शासन प्रणाली में सुधार का प्रकरण

इस अध्ययन के अंतर्गत में, नवंबर 2017 से दिसंबर 2019 के दौरान प्रमुख हितधारकों के साथ कुल 1314 साक्षात्कार आयोजित किए गए जिनमें 22 राज्यों तथा 1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और नागरिक संगठनों के विशेषज्ञ शामिल थे।

विचार-विमर्श और नेटवर्क निर्माण

प्रजा ने दिसंबर 2019 तक भारत के 20 राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के संदर्भ में राज्य स्तरीय परामर्श का आयोजन किया।

हालांकि 22 राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शहरी शासन-प्रणाली से संबंधित अध्ययन का कार्य पूरा किया जा चुका है हालांकि 20 राज्यों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में राज्यस्तरीय परामर्श का कार्य पूरा हो गया है, जिसमें असम और मेघालय शामिल नहीं हैं। इस प्रकार इस रिपोर्ट में विश्लेषण 21 भौगोलिक क्षेत्रों पर आधारित है जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सहित 20 राज्य शामिल हैं।

02



# शहरी शासन-प्रणाली के अध्ययन की रूपरेखा

## 2.1 अनुषांगिकता का सिद्धांत

## 2.2 प्रजा की शहरी शासन-प्रणाली के सशक्तिकरण रूपरेखा

- कार्यो एवं उनके पदाधिकारियों पर शहरी प्रशासन का नियंत्रण
- सशक्त और उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि
- राजस्व का विकेंद्रीकरण
- सक्रिय जनभागीदारी तथा नागरिक शिकायत निवारण तंत्र

## 2.1 अनुषांगिकता का सिद्धांत

इस सिद्धांत के पीछे की मुख्य अवधारणा यह है कि विशाल आकार के या बड़े निकायों को उन सभी कार्यों का दायित्व अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए जिसे स्थानीय स्तर पर छोटे निकायों द्वारा कुशलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है।


अनुषांगिकता के सिद्धांत में इस बात पर बल दिया जाता है कि केंद्रीय प्राधिकरणों की भूमिका सहायक की होनी चाहिए जो केवल ऐसे कार्यों को निष्पादित करें जिन्हें तत्काल अथवा स्थानीय स्तर पर पूरा नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा इसका मतलब यह भी है कि नीतियों का निर्माण यथासंभव निचले स्तर पर किया जाना चाहिए तथा समान विनियमन की आवश्यकता होने पर राज्य को कानून बनाना चाहिए।

### इसकी प्रासंगिकता

शहरी प्रशासन को ऐसे कार्यों का दायित्व अपने हाथों में लेना चाहिए जिन्हें स्थानीय शासन-प्रणाली की एक लोकतांत्रिक इकाई के रूप में कुशलतापूर्वक पूरा करना संभव हो सके।

इसका तात्पर्य यह है कि 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय महत्त्व के अनुरूप सूचीबद्ध किए गए 18 कार्यों को पूरा करने का दायित्व शहरी शासन-प्रणाली के पास होना चाहिए तथा केंद्र/राज्य सरकारों को उनमें शामिल नहीं होना चाहिए।



## 2.2 प्रजा की शहरी शासन-प्रणाली के सशक्तिकरण रूपरेखा:

शहरी शासन-प्रणाली की रूपरेखा दरअसल निर्देशात्मक प्रकृति की है तथा यह सुधारों के व्यापक क्षेत्रों पर प्रकाश डालती है जो बेहद आवश्यक है ताकि शहरी शासन-प्रणाली स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सके।

प्रजा फाउंडेशन का मानना है कि, निम्नलिखित विषय-वस्तुओं को मजबूती प्रदान करते हुए देश भर में शहरी शासन-प्रणाली का सशक्तिकरण किया जा सकता है:

- 1. कार्यो एवं उनके पदाधिकारियों पर शहरी प्रशासन का नियंत्रण:** सूचीबद्ध किए गए 18 कार्यो के साथ-साथ स्थानीय महत्त्व के कार्यो और शहर के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली एजेंसियों पर सीधे नियंत्रण के माध्यम से उनका निष्पादन होना चाहिए।
- 2. सशक्त और उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि:** महापौर एवं पार्षद जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हैं जिन्हें सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। उन्हें स्वामित्व दिया जाना चाहिए और उन्हें शहर के विकास के लिए उत्तरदायी बनाना चाहिए।
- 3. राजस्व का विकेंद्रीकरण:** कार्यो के हस्तांतरण के साथ-साथ कार्यो को कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए वित्त पर नियंत्रण आवश्यक है। यह ध्यान में रखते हुए राजस्व के स्रोतों पर नियंत्रण का अधिकार शहरी प्रशासन के हाथों में दिया जाना चाहिए।
- 4. सक्रिय जनभागीदारी तथा नागरिक शिकायत निवारण तंत्र:** शासन प्रक्रिया में जवाबदेही, पारदर्शिता और लोगों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी सुनिश्चित करने में जनभागीदारी की भूमिका बेहद अहम होती है। इसके अलावा लोगों की समस्याओं के निवारण के साथ-साथ सेवाओं के वितरण को बेहतर बनाने के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र अवश्य मौजूद होना चाहिए।



03



## कार्यों और पदाधिकारियों के नियंत्रण और कार्यान्वयन

- 18 कार्यों का सामान्य वर्गीकरण
- 18 कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति
- शहर की सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य
- एकाधिक एजेंसियों की मौजूदगी
- स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) में शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व
- असत्यापित विवरण - स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) में शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व
- शहर की सरकारों में मानव संसाधन की स्थिति

आगामी विषयों में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांत 22 और 23 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय परामर्श में अर्बन एजेंडा के निर्माण के लिए बुनियादी सिद्धांतों के रूप में विचार-विमर्श के लिए मुद्दे हैं।

### 3.1 18 कार्यों का सामान्य वर्गीकरण (74 वें सीएए के अनुसार)

कार्य क्र.	कार्य	गतिविधियां	
1.	नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन	<ul style="list-style-type: none"> <li>मुख्य नियोजन/ विकास योजनाएँ / आंचलिक योजनाएँ</li> <li>मुख्य नियोजन संबंधी नियमों को लागू करना</li> <li>भवन-निर्माण संबंधी नियमावली को लागू करना</li> </ul>	
2.	भूमि-उपयोग और भवन-निर्माण का विनियमन	<ul style="list-style-type: none"> <li>भूमि उपयोग का विनियमन</li> <li>भवन-निर्माण योजनाओं / ऊँची इमारतों के निर्माण का अनुमोदन</li> <li>अवैध इमारतों को ध्वस्त करना</li> </ul>	
3.	आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना निर्माण	<ul style="list-style-type: none"> <li>आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन</li> <li>सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना</li> </ul>	
4.	सड़कें एवं पुल	<ul style="list-style-type: none"> <li>सड़कों का निर्माण एवं रखरखाव</li> <li>पुलों एवं फ्लाईओवर का निर्माण और रखरखाव</li> <li>पार्किंग स्थलों का निर्माण और सड़क पर रोशनी की व्यवस्था</li> </ul>	
5.	घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> <li>पानी का भंडारण और जलापूर्ति की व्यवस्था करना</li> <li>शुल्क का संग्रहण</li> <li>संचालन एवं रखरखाव (O&amp;M)</li> </ul>	
6 a.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सफ़ाई व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> <li>अस्पतालों, औषधालयों, मेडिकल कॉलेजों के रखरखाव को बनाए रखना</li> <li>टीकाकरण</li> <li>विषाणु जनित रोगों की रोकथाम</li> <li>पानी, भोजन की गुणवत्ता</li> </ul>	
6 b.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण और निस्तारण</li> </ul>	
7.	अग्निशामक सेवाएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>अग्निशामक दल का गठन एवं अनुरक्षण</li> <li>जलाशयों का रखरखाव</li> <li>फायर एनओसी / अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रदान करना</li> </ul>	

### 3.1 18 कार्यों का सामान्य वर्गीकरण (74 वें सीएए के अनुसार)

कार्य क्र.	कार्य	गतिविधियां	
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा तथा पारिस्थितिक से संबंधित पहलुओं का संवर्द्धन	<ul style="list-style-type: none"> <li>वनीकरण</li> <li>हरित क्षेत्रों का निर्माण</li> <li>जागरूकता अभियान</li> <li>प्राकृतिक संसाधनों का रखरखाव</li> </ul>	
9.	दिव्यांगों एवं मानसिक रूप से अक्षम लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना	<ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थियों की पहचान करना</li> <li>सामाजिक पेंशन योजनाओं (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग) का संचालन</li> <li>उपकरण / सहायता उपलब्ध कराना, जैसे कि तिपहिया साइकिल</li> <li>आवास की व्यवस्था से संबंधित कार्यक्रम और छात्रवृत्ति</li> </ul>	
10.	झुग्गी बस्तियों की दशा में सुधार एवं उन्नयन	<ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थियों की पहचान करना</li> <li>किफायती आवास उपलब्ध कराना</li> <li>जीवन स्तर को बेहतर बनाना</li> </ul>	
11.	शहरी गरीबी का उन्मूलन	<ul style="list-style-type: none"> <li>लाभार्थियों की पहचान करना</li> <li>आजीविका एवं रोजगार की व्यवस्था करना</li> <li>फुटपाथ पर सामान बेचने वाले</li> </ul>	
12.	शहरी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना, जैसे कि पार्क, उद्यान, खेल के मैदान	<ul style="list-style-type: none"> <li>पार्कों एवं उद्यानों का निर्माण</li> <li>संचालन एवं रखरखाव (O&amp;M)</li> </ul>	
13 a.	सांस्कृतिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को प्रोत्साहन	<ul style="list-style-type: none"> <li>मेले एवं त्योहार</li> <li>सांस्कृतिक भवनों/ संस्थानों का निर्माण</li> <li>सांस्कृतिकविरासत</li> <li>सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण</li> </ul>	
13 b.	शिक्षा को प्रोत्साहन	<ul style="list-style-type: none"> <li>विद्यालय एवं शिक्षा</li> </ul>	
14.	दफन और कब्रिस्तान; दाह-संस्कार, शमशान	<ul style="list-style-type: none"> <li>शमशान और कब्रिस्तान (विभिन्न धर्मों के लिए)</li> <li>निर्माण तथा संचालन एवं रखरखाव (O&amp;M)</li> </ul>	

### 3.1 18 कार्यों का सामान्य वर्गीकरण (74 वें सीएए के अनुसार)

कार्य क्र.	कार्य	गतिविधियां	
15.	मवेशी-खाना; पशुओं के प्रति अमानवीय व्यवहार की रोकथाम	<ul style="list-style-type: none"> <li>आवारा पशुओं को पकड़ना और रखना</li> <li>नसबंदी व रेबीज से बचाव हेतु टीकाकरण</li> <li>पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना</li> </ul>	
16.	जन्म और मृत्यु के पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण आँकड़े	<ul style="list-style-type: none"> <li>जानकारी प्राप्त करने के लिए अस्पतालों / शमशान आदि के साथ समन्वयन</li> <li>आंकड़ों का अनुरक्षण एवं अद्यतीकरण</li> </ul>	
17 a.	सार्वजनिक सुविधाएं, जिनमें सड़कों पर रोशनी, पार्किंग स्थल और सार्वजनिक शौचालय शामिल हैं	<ul style="list-style-type: none"> <li>सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था और रखरखाव</li> <li>पार्किंग स्थलों का निर्माण और रखरखाव</li> <li>सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण और रखरखाव</li> </ul>	
17 b.	बस स्टॉप	<ul style="list-style-type: none"> <li>बस मार्गों को तय करना और उनका संचालन करना</li> </ul>	
18.	बूचड़खानों और चर्म-शोधनालयों का विनियमन	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशुओं और मांस की गुणवत्ता सुनिश्चित करना</li> <li>अपशिष्ट का निस्तारण</li> </ul>	

### 3.2 18 कार्यों के हस्तांतरण की स्थिति

Fn. no.	Andhra Pradesh	Bihar	Chhattisgarh	Delhi	Goa	Gujarat	Haryana	Himachal	Jharkhand	Karnataka	Kerala	Madhya Pradesh	Maharashtra	Odisha	Punjab	Rajasthan	Tamil Nadu	Telangana	Uttar Pradesh	Uttarakhand	West Bengal
1						■	■	■							■				■	■	
2				■		■	■								■	■			■		
3						■	■								■		■	■	■		
4																			■		
5				■				■			■					■				■	
6a		■						■				■									
6b																					
7	■	■	■	■	■			■	■	■	■			■			■	■	■	■	■
8					■		■														■
9					■			■									■	■	■	■	
10																			■		
11																	■	■	■		
12																					
13a		■																			
13b		■	■		■			■	■		■	■		■	■			■	■	■	
14																					
15																					■
16																					
17a																					
17b				■	■			■						■							■
18																			■		


City government control
Multiple agencies
State Control

### 3.3 शहर की सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य

#### निर्देशक सिद्धांत: 74वें CAA के अनुसार शहर की सरकार को 18 कार्यों का हस्तांतरण

- भारत में शहरी स्थानीय सरकारों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (CAA), 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा मिला है। 74वें CAA के अनुसार, अनुच्छेद 243-W के तहत सूचीबद्ध 18 कार्यों को भारत के सभी राज्यों में शहर की सरकारों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
- भारतीय शासन प्रणाली में, शहरी सरकार तीसरे स्तर पर है। स्व-शासन की एक लोकतांत्रिक इकाई के रूप में शहर की सरकार को इन सभी 18 कार्यों के साथ-साथ स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण ऐसे सभी कार्यों को पूरा करने का अधिकार होना चाहिए जो लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित हैं। इसलिए वर्तमान में राज्य सरकार / राज्य के स्वामित्व वाले निकायों के नियंत्रणाधीन स्थानीय कार्यों को शहर की सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

Functions under City Government



03

#### महत्वपूर्ण तथ्य


- 21 शहरों में से एक भी शहर की सरकार के पास 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी 18 कार्यों पर नियंत्रण नहीं है।
- कार्यों पर नियंत्रण के मामले में मुंबई का स्थान सबसे पहला है क्योंकि बृहन्मुंबई नगरपालिका द्वारा इनमें से 9 कार्यों को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जाता है और इसके बाद कोच्चि नगर निगम का स्थान आता है जिसे इनमें से 8 कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त है।
- 21 शहरों में से 8 शहरों को 5 से अधिक कार्यों पर स्वतंत्र नियंत्रण प्राप्त है जबकि 5 या 5 से कम कार्यों पर स्वतंत्र नियंत्रण वाले शहरों की संख्या 13 है।

### 3.4 एकाधिक एजेंसियों की मौजूदगी

**निर्देशक सिद्धांत: शहर में सभी कार्यों के निस्तारण पर शहर की सरकार का नियंत्रण होना चाहिए**

- कई एजेंसियों की मौजूदगी से एक-दूसरे के साथ तालमेल संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं साथ ही काम का दोहराव होता है तथा सेवाओं का वितरण भी निम्नस्तरीय हो जाता है। लिहाजा एक ऐसी एजेंसी का होना आवश्यक है जिसका सभी कार्यों पर नियंत्रण हो। शहरी स्थानीय सरकार होने के नाते, नगर निगम को अपने शहर के दायरे में इन सभी कार्यों को पूरा करने का अधिकार होना चाहिए।
- शहर के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली सभी एजेंसियों/राज्य के स्वामित्व वाले निकायों को नगरपालिका को रिपोर्ट करना चाहिए और उसके दिशा-निर्देशों के अनुरूप काम करना चाहिए। इसलिए, राज्य सरकार/राज्य के स्वामित्व वाले निकायों को इन सभी 18 कार्यों से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नगरपालिका से अनुमति लेनी चाहिए।


Functions under Multiple agencies



#### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 21 शहरों के अंतर्गत 18 कार्यों में से 10 से अधिक कार्यों में एक से अधिक एजेंसियों की भागीदारी का अनुभव करने वाले शहरों की संख्या 9 है और वर्तमान में विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल के लिए कोई नोडल एजेंसी नहीं है जिसकी वजह से सेवाओं के निस्तारण में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
- रायपुर में 18 में से 15 कार्यों में विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी है जिसकी वजह से तालमेल से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इसके परिणामस्वरूप यहां सेवाओं के निस्तारण की स्थिति निम्नस्तरीय है।
- रांची और मैंगलोर में 13 कार्यों में एक से ज्यादा एजेंसियों की भागीदारी है।
- विजयवाड़ा, पटना और देहरादून में 12 कार्यों का दायित्व विभिन्न एजेंसियों के पास है।
- उदयपुर, दिल्ली और कोलकाता में 11 कार्यों का दायित्व विभिन्न एजेंसियों के पास है।


### 3.5 असत्यापित विवरण- नियंत्रण के संदर्भ में 18 कार्यों का वितरण



**Status of Devolution of 18 functions**

- Functions under City government
- Functions under Multiple agencies
- Functions under State government

### 3.6 स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) में शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व



#### निर्देशक सिद्धांत: शहर में सभी कार्यों के निस्तारण पर शहर की सरकार का नियंत्रण होना चाहिए

- उन सभी शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन निकायों (SPVs) का गठन किया गया है जो मिशन का हिस्सा हैं। SCM शहरों के नवीनीकरण एवं अवसंरचना के विकास से संबंधित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है और इन्हें नगर-निगम के अधिकार क्षेत्र में लागू किया जाता है। हालांकि, SPVs एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर रहे हैं और नगर-निगमों के प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है।
- चूंकि SPVs में शहर की सरकार तथा राज्य सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है इसलिए SPVs बोर्ड में शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व भी एक समान होना चाहिए। इसके अलावा SPV को किसी भी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नगर-निगमों को रिपोर्ट करना चाहिए।

#### महत्वपूर्ण तथ्य

- कई शहरों में, SPVs की अध्यक्षता राज्य सरकार के अधिकारी करते हैं और SCM परियोजनाओं से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में शहर की सरकारों की अहम भूमिका नहीं होती है।
- 21 शहरों में केवल उदयपुर के महापौर SPV के निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष हैं।
- 19 शहरों में SPV के निदेशक मंडल में निगम पार्षदों को शामिल नहीं किया गया है।
- केवल मैंगलोर और अहमदाबाद में SPV बोर्ड के निर्णय लेने की प्रक्रिया में निगम-पार्षद शामिल होते हैं। मैंगलोर में 4 निगम-पार्षद SPV बोर्ड के सदस्य हैं जबकि अहमदाबाद में महापौर के अलावा 1 निगम-पार्षद SPV बोर्ड के सदस्य हैं।

### 3.6 असत्यापित विवरण - स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) में शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व


State	City	Ratio of state -city representation in SPV	Representation of city government in the SPV- Mayor/ Councillors/ Commissioner	
			Members	Councillors
Andhra Pradesh	Vijayawada		Not part of SCM	
Bihar	Patna	10:2	Mayor and Commissioner	No
Chhattisgarh	Raipur	10:1	Only Commissioner	No
Delhi	Delhi		Not part of SCM	
Goa	Panaji	9:2	Mayor and Commissioner	No
Gujarat	Ahmedabad	9:3	Mayor, Commissioner, Standing committee Chairperson	Yes
Haryana	Gurugram		Not part of SCM	
Himachal Pradesh	Dharamshala	12:3	Mayor, Deputy Mayor and Commissioner	No
Jharkhand	Ranchi	8:3	Mayor, Commissioner and Additional Commissioner	No
Karnataka	Mangaluru	10:6	Mayor, Commissioner and 4 Councillors	Yes
Kerala	Kochi	9:2	Mayor and Secretary	No
Madhya Pradesh	Bhopal	11:2	Mayor and Commissioner	No
Maharashtra	Mumbai		Not part of SCM	
Odisha	Bhubaneswar	14:1	Commissioner	No
Punjab	Amritsar	12:2	Mayor and Commissioner	No
Rajasthan	Udaipur	10:2	Mayor as vice-Chairperson and Commissioner	No
Tamil Nadu	Coimbatore	13:2	Mayor and Commissioner	No
Telangana	Warangal	14:2	Mayor and Commissioner	No
Uttar Pradesh	Lucknow	8:1	Commissioner	No
Uttarakhand	Dehradun	14:2	Mayor and Commissioner	No
West Bengal	Kolkata		Not part of SCM	

### 3.7 शहर की सरकारों में मानव संसाधन की स्थिति (1/2)

**निर्देशक सिद्धांत: पर्याप्त और कुशल मानव संसाधनों के संदर्भ में शहरी सरकार की क्षमता का निर्माण करना आवश्यक है**

- वर्तमान में राज्य के स्वामित्व वाले निकायों के पास शहरी नियोजन, आवास, सड़कों एवं पुलों के निर्माण तथा जलापूर्ति जैसे कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कौशल एवं क्षमता मौजूद है जबकि नगर-निगमों के पास ऐसे कौशल का अभाव है। अतः नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी स्थानीय सरकारों की क्षमता का निर्माण करना अत्यावश्यक है। राज्य सरकार के विभागों/ राज्य के स्वामित्व वाले निकायों को नगर-निगम के मार्गदर्शन और नियंत्रण में विशेष एजेंसियों के तौर पर काम करना चाहिए। इसके अलावा नगर-निगम को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वह किसी कार्य को पूरा करने का दायित्व राज्य के स्वामित्व वाले निकायों को दे या फिर आवश्यक विशेषज्ञता वाले किसी अन्य संगठन को इसे पूरा करने की जिम्मेदारी दी जाए।
- इसके अलावा सेवाओं के निस्तारण के लिए नगर-निगम के पास पर्याप्त मानव संसाधन होने चाहिए साथ ही मानव संसाधन की नियुक्ति पर भी नियंत्रण होना चाहिए।

No of employees per 1000 population




#### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- कार्यों को पूरा करने के लिए शहर की सरकारों के पास क्षमता का अभाव है क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में योग्य और कुशल कर्मचारी नहीं हैं।
- पणजी नगर निगम में शहर में सेवाएं देने के लिए प्रति 1000 जनसंख्या पर 19 कर्मचारी हैं।
- मुंबई और कोलकाता के नगर-निगमों में सेवाओं के निस्तारण हेतु प्रति 1000 जनसंख्या पर कर्मचारियों की संख्या 8 है।
- गुरुग्राम और पटना नगर-निगम के पास शहरी क्षेत्र में सेवाओं के निस्तारण हेतु कर्मचारियों की संख्या 1 के पास है।

ध्यान दें: विश्लेषण के लिए स्थायी और संविदा कर्मचारियों के डेटा का उपयोग किया जाता है। हालांकि, कोयम्बटूर, देहरादून, गुरुग्राम और पटना के लिए अनुबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है।

### 3.7 शहर की सरकारों में मानव संसाधन की स्थिति (2/2)

Percentage of Vacant Sanctioned Positions




#### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 21 शहरों में से किसी भी नगर-निगम में सभी स्वीकृत पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है।
- गुरुग्राम नगर निगम में रिक्त पदों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि इसके बाद रांची, वारंगल और कोलकाता का स्थान आता है।
- भारत में नगर-निगमों के पास नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की कमी है।

### 3.7 असत्यापित विवरण - शहर की सरकारों में मानव संसाधन की स्थिति

State	City	Human Resources				No of employees per 1000 population
		Sanctioned	Vacant	Vacant %	Contractual	
Andhra Pradesh	Vijayawada	3,254	1,540	47%	387	2
Bihar	Patna	658	82	12%	Not available	0.3
Chhattisgarh	Raipur	984	457	46%	2691	3
Delhi	Delhi	49,737	11,376	23%	3078	3
Goa	Panaji	412	72	17%	430	19
Gujarat	Ahmedabad	29,663	4,982	17%	27	4
Haryana	Gurugram	2,454	1,993	81%	Not available	1
Himachal Pradesh	Dharamshala	202	71	35%	0	2
Jharkhand	Ranchi	1,330	904	68%	2124	2
Karnataka	Mangaluru	1,725	547	32%	633	4
Kerala	Kochi	715	104	15%	799	2
Madhya Pradesh	Bhopal	5,686	2,370	42%	1298	3
Maharashtra	Mumbai	1,45,742	48,481	33%	3577	8
Odisha	Bhubaneswar	1,303	284	22%	1001	2
Punjab	Amritsar	6,135	2221	36%	800	4
Rajasthan	Udaipur	3,681	1,229	33%	0	5
Tamil Nadu	Coimbatore	4966	1,707	34%	Not available	2
Telangana	Warangal	1,509	772	51%	2983	6
Uttar Pradesh	Lucknow	2,620	737	28%	6271	3
Uttarakhand	Dehradun	1,501	528	35%	Not available	2
West Bengal	Kolkata	45,000	22,000	49%	12,000	8

### 3.8 शहर की सरकारों में कर्मचारियों की नियुक्ति



**निर्देशक सिद्धांत: नियुक्ति की प्रक्रिया के संचालन का अधिकार शहर की सरकार के पास होना चाहिए**

- वर्तमान में, शहर की सरकारों के पास अपने कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है और वे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार पर निर्भर हैं। इसकी वजह से रिक्त पदों की संख्या अत्यधिक हो गई है। शहरी स्थानीय सरकार होने के नाते सेवाओं के कुशलतापूर्वक निस्तारण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार शहर की सरकार के पास होना चाहिए।

**महत्त्वपूर्ण तथ्य**

- किसी भी नगर-निगम के पास नियुक्ति की प्रक्रिया का अधिकार नहीं है। हालांकि मुंबई, अहमदाबाद, रायपुर, भोपाल और कोयम्बटूर निगम कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं, परंतु अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार राज्य सरकार के पास ही है।
- कोलकाता नगर-निगम में कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया आयोजित करने के लिए समर्पित नगरपालिका सेवा आयोग है। हालांकि, नगरपालिका सेवा आयोग नगर निगम के नियंत्रण में नहीं है और यह राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है।

Final Recruitment sanction authority	
State Government	●
City Government	●
State Government	●

Recruitment process conducted by	
City Government	●
State Government	●

\*Municipal Service Commission

04



## सशक्त और उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि

- महापौर का सशक्तिकरण
- निगम-पार्षदों का सशक्तिकरण
- उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि
- जिला नियोजन समिति


आगामी विषयों में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांत 22 और 23 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय परामर्श में अर्बन एजेंडा के निर्माण के लिए बुनियादी सिद्धांतों के रूप में विचार-विमर्श के लिए मुद्दे हैं।

## 4.1 महापौर का सशक्तिकरण (1/2)

### निर्देशक सिद्धांत: महापौर के पद को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है

- सभी राज्यों में नगर-निगमों की अध्यक्षता नगरपालिका आयुक्त करते हैं जो मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं। नगरपालिका आयुक्त की नियुक्ति मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत में शहरी शासन-प्रणाली के मॉडल के तहत कार्यकारी शक्तियां नगरपालिका आयुक्त के पास होती हैं जबकि निर्वाचित प्रतिनिधि महज सलाहकार की भूमिका में होते हैं। महापौर निर्वाचित प्रतिनिधि और शहर के प्रथम नागरिक पद पर आसीन होते हैं इसलिए लोग महापौर से शहर की मौजूदा समस्याओं के समाधान की उम्मीद करते हैं। हालांकि नगर-निगम के कामकाज में महापौर की भूमिका महज औपचारिक होती है तथा उसके पास प्रशासनिक शक्तियां नहीं होती हैं।
- अतः महापौर के पद को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है। नगरपालिका आयुक्त की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) तैयार करने का अधिकार महापौर के पास होना चाहिए, जिससे नगर-पालिका आयुक्त महापौर के प्रति जवाबदेह हो जाएंगे। इसके अलावा, महापौर की पदावधि इस प्रकार निर्धारित होनी चाहिए जो नगर-निगम के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त हो। यह महापौर के पद को स्थायित्व प्रदान करेगा तथा दीर्घकालिक निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों को महापौर के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और आवश्यकता होने पर महापौर को उन्हें निलंबित करने का अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा, महापौर को नगर आयुक्त नियुक्त करना चाहिए और राज्य सरकार चयन प्रक्रिया में एक सलाहकार की भूमिका निभा सकती है।

## 4.1 महापौर का सशक्तिकरण (2/2)




### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 21 राज्यों के सभी महापौरों के बीच केरल नगर-निगमों के महापौरों को सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। केरल के महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, साथ ही उसे आयुक्त के ACR तैयार करने तथा निगम के अधिकारियों को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है और नगर-निगमों के कामकाज पर उसका प्रशासनिक नियंत्रण होता है।
- राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के महापौर को भी कुछ हद तक अधिकार प्राप्त हैं तथा नगर-निगमों के प्रशासन पर उनका नियंत्रण है।
- 16 राज्यों के महापौर वहां के नगर-निगमों के औपचारिक प्रमुख हैं और उन्हें बेहद कम प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं।
- 6 शहरों में महापौर का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है जबकि 15 शहरों में महापौर का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों द्वारा किया जाता है।
- केवल 6 शहरों - अर्थात् कोच्चि, उदयपुर, देहरादून, लखनऊ, कोलकाता और धर्मशाला के महापौरों के पास नगरपालिका आयुक्त के ACR तैयार करने का अधिकार है।
- 6 राज्यों के महापौरों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए स्थाई नहीं है।

### Mayorial System and key deliberative bodies

Election of Mayor	● Indirect	● Direct
Term of Mayor: 5 Years	●	State government does not have authority to appoint, remove or suspend Mayor
Annual Confidential Report authority	●	●
Authority to suspend officials	●	No Empowerment

## 4.2 निगम-पार्षदों का सशक्तिकरण



### निर्देशक सिद्धांत: पार्षदों को प्रमुख विचार-विमर्श समितियों का हिस्सा होना चाहिए

- निगम-पार्षद जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और शासन-प्रणाली में मुख्य रूप से सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि नगर-निगम के निर्णय लेने की प्रक्रिया में पार्षद भी शामिल हों।
- सभी पार्षदों को कम-से-कम एक प्रमुख विमर्शी निकायों जैसे कि स्थाई समिति, विषय-विचारणी समिति आदि का हिस्सा होना चाहिए ताकि वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकें, अपने-अपने वार्डों के विकास हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकें तथा अपने-अपने वार्डों की जनता के समक्ष मौजूद समस्याओं पर चर्चा कर सकें।
- पार्षदों को मानदेय, बैठकों हेतु भत्ते प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए तथा उसके पास अपने वार्ड में सेवाओं के निस्तारण की निगरानी के लिए कार्यालय एवं कर्मचारी होने चाहिए।

### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 21 में से केवल 6 शहरों, अर्थात् विजयवाड़ा, रायपुर, धर्मशाला, कोच्चि, भुवनेश्वर और उदयपुर के पार्षद कम-से-कम एक विचार-विमर्श समिति का हिस्सा हैं।
- दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ, देहरादून, कोयम्बटूर में पार्षदों को मानदेय नहीं मिलता है।
- सभी 21 शहरों में सबसे ज्यादा मानदेय मुंबई के पार्षदों को मिलता है, जो की ₹25,000 हैं और इसके बाद अमृतसर के पार्षदों का स्थान आता है जिन्हें ₹17,000 मिलते हैं।
- रांची के पार्षदों को मानदेय के अलावा कार्यालय एवं कर्मचारियों के लिए भत्ता भी मिलता है।

### 4.3 असत्यापित विवरण- विषय-विचारिणी समिति

State	City	Key Deliberative bodies	Status	Subject Committees		#
				Provision	Status	
Andhra Pradesh	Vijayawada	Standing Committee	Active	11 Special Committees	Active	Yes
Bihar	Patna	Standing Committee	Active	To be decided by council	Not constituted	No
Chhattisgarh	Raipur	Mayor-in-Council	Active	14 Advisory committees	Not constituted	Yes
Delhi	Delhi	4 Statutory Committee	Active	12 Special Committees	Active	No
Goa	Panaji	Standing Committee	Active	3 Special consultative committees	Non-functional	No
Gujarat	Ahmedabad	Standing Committee	Active	11 Special Committees	Active	No
Haryana	Gurugram	Finance Committee	Active	To be decided by council	-	No
Himachal Pradesh	Dharamshala	3 standing committees	Active	No	-	Yes
Jharkhand	Ranchi	Finance Committee	Active	No	-	No
Karnataka	Mangaluru	4 Standing committees	Active	-	-	No
Kerala	Kochi	8 Standing Committees	Active	-	-	Yes
Madhya Pradesh	Bhopal	Mayor-in-Council	Active	No	-	No
Maharashtra	Mumbai	3 Statutory Committees	Active	6 Subject committees	Active	No
Odisha	Bhubaneswar	10 Standing Committees	Active	-	-	Yes
Punjab	Amritsar	Finance and Contract committee	Active	To be decided by council	-	No
Rajasthan	Udaipur	Executive Committee	Active	21 subject committees	Yes- irregular meetings	Yes
Tamil Nadu	Coimbatore	6 Standing Committees	-	-	-	No
Telangana	Warangal	No	-	No	-	No
Uttar Pradesh	Lucknow	Executive Committee	Active	4 Special committees	Non-functional	No
Uttarakhand	Dehradun	Executive Committee	Active	4 Special committees	Non-functional	No
West Bengal	Kolkata	Mayor-in-Council	Active	No	-	No

# : All councillors are part of at least one deliberative committee- Standing/Special / Advisory committee

#### 4.4 असत्यापित विवरण- पार्षदों के लिए मानदेय / पारिश्रमिक

State	City	Honorarium/ Remuneration (in Rupees)	Sitting allowance (per meeting)/ Other allowances (in Rupees)
Andhra Pradesh	Vijayawada	4000	100
Bihar	Patna	2,500	1000-Office Rent
Chhattisgarh	Raipur	7,500	350
Delhi	Delhi	No	300
Goa	Panaji	10,800	No
Gujarat	Ahmedabad	14500	500
Haryana	Gurugram	15000	No
Himachal Pradesh	Dharamshala	5,500	No
Jharkhand	Ranchi	7,000	5000- Office Rent, 4000- Stationary and Maintenance of office, 6000-Staff for councillor
Karnataka	Mangaluru	6,000	200- Council Meeting and 200- Vehicle allowance
Kerala	Kochi	10,000	50
Madhya Pradesh	Bhopal	6000	No
Maharashtra	Mumbai	25,000	200
Odisha	Bhubaneswar	No	500 per council meeting and 200 per standing committee meeting
Punjab	Amritsar	17000	No
Rajasthan	Udaipur	3750	200
Tamil Nadu	Coimbatore	No	800
Telangana	Warangal	6000	No
Uttar Pradesh	Lucknow	No	No
Uttarakhand	Dehradun	No	No
West Bengal	Kolkata	10,000	200

## 4.5 उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि (1/3)


### निर्देशक सिद्धांत: मेयर और पार्षदों को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए तथा शहर के विकास के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

- हम सभी इस बात से अवगत हैं कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार का नेतृत्व करते हैं तथा उनके पास राज्य के कामकाज के संचालन का स्वामित्व और पर्याप्त अधिकार होता है। इसलिए राज्य के कामकाज एवं शासन-व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसी तरह शहर सरकार के प्रमुख होने के नाते महापौर के पास भी शहर के कामकाज के संचालन का पूर्ण अधिकार होना चाहिए और उन्हें शहर के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वार्डों के विकास के लिए निगम-पार्षदों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- निर्धारित उप-नियमों के अनुसार नगर निगम सदन/परिषद, स्थायी/विषय-विचारिणी समिति की बैठकों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाना चाहिए। नगर-निगमों के कामकाज को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उप-नियमों को बनाना अथवा निगम की प्रक्रिया के नियमों को अच्छी तरह लागू किया जाना आवश्यक है।
- शहर के महापौर और पार्षदों को निगम की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना चाहिए और निगम-पार्षद यदि परिषद अथवा समिति की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं तो परिषद द्वारा उस पार्षद की परिषद एवं समिति की सदस्यता निलंबित की जानी चाहिए।

### महत्वपूर्ण तथ्य


- पटना, रांची, कोयम्बटूर और वारंगल में केवल सीमित विषयों के लिए ही उप-नियम मौजूद हैं।
- 5 शहरों - अर्थात् पणजी, गुरुग्राम, धर्मशाला, मैंगलोर और देहरादून में निगम की प्रक्रिया से संबंधित नियम निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- सभी 21 शहरों में महापौर को उसके पद से हटाया जा सकता है और यह प्रक्रिया उसके निर्वाचन के तरीके पर आधारित है। अगर महापौर का निर्वाचन पार्षदों द्वारा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में निगम-पार्षद नगरपालिका सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं।
- भोपाल में महापौर के निर्वाचन के 2 साल बाद उसे जनता द्वारा पदच्युत किया जा सकता है क्योंकि यहां महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा होता है।
- 21 में से 5 शहरों में निगम-पार्षदों द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन नहीं किए जाने की स्थिति में उसे पदच्युत करने का प्रावधान नहीं है।

## 4.5 उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधि (2/3)





## 4.6 जिला नियोजन समिति



**निर्देशक सिद्धांत: एकीकृत योजना निर्माण के लिए डीपीसी और एमपीसी आवश्यक मंच हैं**

- जिला और महानगरीय क्षेत्रों हेतु एकीकृत योजना निर्माण के लिए क्रमशः जिला नियोजन समिति (डीपीसी) एवं महानगर नियोजन समितियाँ (एमपीसी) अत्यावश्यक मंच हैं। शहर के स्तर पर बनाई गई योजनाओं का समेकन डीपीसी और एमपीसी में किया जाना चाहिए।
- डीपीसी और एमपीसी की बैठकों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाना चाहिए तथा डीपीसी और एमपीसी में शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- 21 में से 17 शहरों में जिला नियोजन समितियों (डीपीसी) का गठन किया गया है हालांकि केवल 9 शहरों में इन समितियों में कामकाज होता है।
- 21 में से 7 शहरों में डीपीसी में नगर-निगम का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।
- मुंबई और दिल्ली में महानगर नियोजन समिति का गठन किया गया है और इनमें कामकाज होता है।

## 4.6 असत्यापित विवरण- जिला नियोजन समिति

State	City	District planning Committee	
		Status	Representation from Municipal Corporation
Andhra Pradesh	Vijayawada	Not Constituted	No
Bihar	Patna	Active	Councillors
Chhattisgarh	Raipur	Constituted-nonfunctional	Mayor nominates 2 members
Delhi	Delhi	No DPC, Active- National Capital Region planning	No
Goa	Panaji	Not Constituted	No
Gujarat	Ahmedabad	Constituted-nonfunctional	Commissioner
Haryana	Gurugram	Active	Mayor, Deputy Mayor, Commissioner
Himachal Pradesh	Dharamshala	Active	Mayor
Jharkhand	Ranchi	Active	Commissioner and elected councillors
Karnataka	Mangaluru	Constituted-Irregular meetings	Mayor and councillors
Kerala	Kochi	Active	2 councillors
Madhya Pradesh	Bhopal	Constituted-nonfunctional	9 councillors, Mayor
Maharashtra	Mumbai	Active- DPC and Metropolitan planning committee	Mayor and Commissioner
Odisha	Bhubaneswar	Active	Commissioner
Punjab	Amritsar	Constituted-nonfunctional	No
Rajasthan	Udaipur	Constituted-nonfunctional	No
Tamil Nadu	Coimbatore	Constituted-nonfunctional	Mayor and councillors
Telangana	Warangal	Not Constituted	No
Uttar Pradesh	Lucknow	Active	Mayor and councillors
Uttarakhand	Dehradun	Constituted-nonfunctional	Mayor and councillors
West Bengal	Kolkata	Active	No

# 05




## राजस्व का विकेंद्रीकरण

- नगर निगम द्वारा कर-निर्धारण
- राज्य वित्त आयोग की स्थिति
- सकल राजस्व मेसे स्वयं के राजस्व की भागीदारी
- संपत्ति कर राजस्व आय का प्रमुख स्रोत है
- शहर की सरकार की बजट निर्माण प्रक्रिया
- शहर की सरकार के बजट की स्वीकृति
- शहर की सरकार को वित्तीय अनुमोदन का अधिकार

आगामी विषयों में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांत 22 और 23 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय परामर्श में अर्बन एजेंडा के निर्माण के लिए बुनियादी सिद्धांतों के रूप में विचार-विमर्श के लिए मुद्दे हैं।

## 5.1 नगर निगम द्वारा कर-निर्धारण



### निर्देशक सिद्धांत – शहर की सरकार को नए कर लगाने तथा मौजूदा कर की दरों को संशोधित करने का अधिकार होना चाहिए

- भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची और अनुच्छेद 269 के तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूल किए जाने वाले करों को सूचीबद्ध किया गया है।
- सूची में शहर की सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले करों को पृथक तौर पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया।।
- शहर की सरकार के पास ऐसे करों को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार होना चाहिए ताकि इनका प्रभावी ढंग से संग्रहण सुनिश्चित हो सके साथ ही उनके पास कर की दरों को बदलने का अधिकार भी होना चाहिए। शहर की सरकार के पास नए करों को लागू करने का अधिकार होना चाहिए।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- इस अध्ययन में शामिल सभी 21 राज्यों के किसी भी शहर के पास नए करों को लागू करने का अधिकार नहीं है।
- केवल छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में शहर की सरकारों के पास कर की दरों को संशोधित करने का अधिकार है।

## 5.2 राज्य वित्त आयोग की स्थिति

State	SFC constitution order	SFC report	SFC Action Taken Report
Andhra Pradesh	Not Available	Not available	Not Available
Bihar	5th	4th	Not Available
Chhattisgarh	3rd	2nd	Not Available
Delhi	5th	5th	5th
Goa	3rd	2nd	Not Available
Gujarat	3rd	3rd	2nd
Haryana	3rd	4th	Not Available
Himachal Pradesh	5th	4th	4th
Jharkhand	2nd	Not available	Not Available
Karnataka	4th	3rd	Not Available
Kerala	5th	5th	5th
Madhya Pradesh	5th	3rd	3rd
Maharashtra	5th	4th	3rd
Odisha	4th	4th	4th
Punjab	5th	4th	Not Available
Rajasthan	5th	5th	4th
Tamil Nadu	4th	4th	4th
Telangana	Not Available	Not available	Not Available
Uttar Pradesh	5th	4th	4th
Uttarakhand	4th	3rd	3rd
West Bengal	4th	3rd	3rd

सोर्स - जनाग्रह ASICS 2017 रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ़ पंचायती राज वेबसाइट


### निर्देशक सिद्धांत - राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए

- चूंकि अधिकांश करों का संग्रहण केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसलिए केंद्र और राज्य से पंचायतों एवं शहर की सरकारों तक वित्त के वितरण पर विचार करना नितांत आवश्यक है। सभी 18 कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए शहर की सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
- राज्य वित्त आयोग (SFC) को हर 5 साल बाद शहर की सरकारों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करनी होती है तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुच्छेद 243 Y के तहत अपनी संस्तुति राज्यपाल को सौंपनी होती है।
- राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है जो पंचायतों एवं शहर की सरकारों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिपोर्ट जारी करता है और इसे राज्यपाल को सौंपता है। राज्य सरकार SFC की संस्तुतियों पर कार्रवाई की रिपोर्ट जारी करती है।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- दिल्ली और केरल राज्य वित्त आयोग ने 5वें एसएफसी की नवीनतम संविधान आदेश रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित की है।
- हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने 5वें एसएफसी का गठन करने के बावजूद रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है।
- आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के एसएफसी के आंकड़े अनुपलब्ध हैं।

### 5.3 सकल राजस्व मेसे स्वयं के राजस्व की भागीदारी



**निर्देशक सिद्धांत – शहर की सरकार को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए स्थानीय करों के संग्रहण में दक्षता बढ़ानी चाहिए**

- शहर की सरकारों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अपने बलबूते पर वित्तीय व्यवस्था करने में सक्षम होने की बात को समझने के लिए शहर की सरकारों की कुल आय में राजस्व के अपने स्रोतों के प्रतिशत को समझना बेहद अहम है।
- शहर की सरकारों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए उनके द्वारा वसूले जाने वाले करों के संग्रहण के विस्तार-क्षेत्र तथा दक्षता को बढ़ाना आवश्यक है।

#### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सभी राज्यों में शहर की सरकारों के बजट में कोई समानता नहीं है। पणजी, उदयपुर, गुरुग्राम, अमृतसर जैसे शहरों के बजट दस्तावेजों में राज्य की ओर से विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिए जाने वाले अनुदान को शामिल नहीं किया गया है।
- राजस्व के अपने स्रोतों के संदर्भ में गुरुग्राम, मुंबई और अमृतसर का प्रतिशत सर्वाधिक है।
- 21 में से 11 शहरों में, राजस्व के अपने स्रोत कुल राजस्व का 50% से कम हैं।

\* - शहर के बजट में राज्य से प्राप्त अनुदान और परियोजना हेतु प्राप्त अनुदान शामिल नहीं हैं।

## 5.4 संपत्ति कर राजस्व आय का प्रमुख स्रोत है

State	City	Property tax/ House Tax
Andhra Pradesh	Vijayawada	Property tax
Bihar	Patna	Holding Tax
Chhattisgarh	Raipur	Property tax
Delhi	Delhi	Property tax
Goa	Panaji	House Tax
Gujarat	Ahmedabad	Property tax
Haryana	Gurugram	Property tax
Himachal Pradesh	Dharamshala	Property tax
Jharkhand	Ranchi	Holding Tax
Karnataka	Mangaluru	Property tax
Kerala	Kochi	Property tax
Madhya Pradesh	Bhopal	Property tax
Maharashtra	Mumbai	Property tax
Odisha	Bhubaneswar	Holding Tax
Punjab	Amritsar	Property tax
Rajasthan	Udaipur	Property tax
Tamil Nadu	Coimbatore	Property tax
Telangana	Warangal	Property tax
Uttar Pradesh	Lucknow	House Tax
Uttarakhand	Dehradun	Not available
West Bengal	Kolkata	Property tax

### निर्देशक सिद्धांत – संपत्ति कर का संग्रहण कुशलतापूर्वक किया जाना चाहिए

- संपत्ति कर अथवा स्वामित्व कर शहर की सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है। अतः संपत्ति कर के संग्रहण की दक्षता तथा इसके आवृत्त क्षेत्र को बेहतर बनाना आवश्यक है।
- स्वामित्व कर टैक्स की गणना भवनों के भूमि-क्षेत्र के आधार पर की जाती है जबकि संपत्ति कर की गणना भवनों के निर्मित या निर्माण क्षेत्र के आधार पर की जाती है। नगरपालिका परिषद द्वारा स्वामित्व कर वसूल किया जाता है तथा परिषद को निगम में परिवर्तित किए जाने की स्थिति में वसूल किये जाने वाले कर को भी संपत्ति कर के तौर पर परिवर्तित किया जाना चाहिए जिससे राजस्व आय में वृद्धि होना संभव है।

### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- 1पटना, रांची, भुवनेश्वर, पणजी और लखनऊ जैसे शहरों में आज तक स्वामित्व कर को संपत्ति कर के तौर पर परिवर्तित नहीं किया गया है।

## 5.5 असत्यापित विवरण- राजस्व के स्रोत

State	City	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Others
Andhra Pradesh	Vijayawada	●		●	●			●	●						service charges from railway
Bihar	Patna		●					●	●					●	interest earned
Chhattisgarh	Raipur	●				●	●				●	●			
Delhi	Delhi	●				●	●	●				●			
Goa	Panaji		●			●			●	●			●	●	
Gujarat	Ahmedabad	●						●			●				conservancy tax, vehicle tax
Haryana	Gurugram	●				●								●	electricity tax
Himachal Pradesh	Dharamshala	●								●	●		●		
Jharkhand	Ranchi		●							●	●		●		latrine tax, development charges
Karnataka	Mangaluru	●				●					●				
Kerala	Kochi	●				●		●		●					fees and user charges
Madhya Pradesh	Bhopal	●				●				●	●		●		
Maharashtra	Mumbai	●								●	●				receipts from DP department
Odisha	Bhubaneswar		●			●	●			●					fees and user charges
Punjab	Amritsar	●								●	●		●		
Rajasthan	Udaipur	●									●			●	urban development tax
Tamil Nadu	Coimbatore	●					●	●		●					fees and user charges
Telangana	Warangal	●		●				●		●				●	town planning section fee
Uttar Pradesh	Lucknow		●			●	●			●					vehicle tax
Uttarakhand	Dehradun	Not available													
West Bengal	Kolkata	●				●					●		●	●	charges on parks, roads and squares

- 1 Property tax  
2 Holding/House tax  
3 Vacant land tax

- 4 Transfer of properties  
5 Advertisement tax  
6 Entertainment tax

- 7 Profession tax  
8 Parking lots  
9 Rent on buildings

- 10 Water & sanitation tax/cess  
11 Education cess  
12 Licences fees

- 13 Stamp duty and building permission

## 5.6 शहर की सरकार की बजट निर्माण प्रक्रिया

State	City	Budget prepared by
Andhra Pradesh	Vijayawada	Commissioner
Bihar	Patna	Commissioner
Chhattisgarh	Raipur	Commissioner
Delhi	Delhi	Commissioner
Goa	Panaji	Committee
Gujarat	Ahmedabad	Commissioner
Haryana	Gurugram	Commissioner
Himachal Pradesh	Dharamshala	Committee
Jharkhand	Ranchi	Committee
Karnataka	Mangaluru	Commissioner
Kerala	Kochi	Committee
Madhya Pradesh	Bhopal	Commissioner
Maharashtra	Mumbai	Commissioner
Odisha	Bhubaneswar	Committee
Punjab	Amritsar	Commissioner
Rajasthan	Udaipur	Commissioner
Tamil Nadu	Coimbatore	Commissioner
Telangana	Warangal	Commissioner
Uttar Pradesh	Lucknow	Commissioner
Uttarakhand	Dehradun	Commissioner
West Bengal	Kolkata	Corporation Secretary

**निर्देशक सिद्धांत – शहर हेतु बजट का निर्माण शहर की विधायी समिति द्वारा किया जाना चाहिए।**

- बजट निर्माण की प्रक्रिया सहभागितापूर्ण एवं सर्व-समावेशी होनी चाहिए। वार्ड समिति और क्षेत्रीय समिति को परियोजनाओं की प्राथमिकता के आधार पर बजट के संदर्भ में अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने का अधिकार होना चाहिए। स्थायी/विषय-विचारिणी समिति को समेकन करने, विचार-विमर्श करने और संस्तुति प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। स्थायी समिति / महापौर की परिषद को विचार-विमर्श करने, प्राथमिकता निर्धारित करने तथा अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
- अंतिम प्राधिकार परिषद के पास होता है, अतः इसे बजट पर विचार-विमर्श करने, अपनी संस्तुति प्रस्तुत करने तथा अंतिम अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होना चाहिए और राज्य सरकार से इसकी मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- विधान मंडल द्वारा बजट निर्माण का कार्य केवल पणजी, कोच्चि, भुवनेश्वर, धर्मशाला और रांची में किया जाता है।
- 21 में से 16 शहरों में, आयुक्त या निगम सचिव द्वारा बजट तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

## 5.7 शहर की सरकार के बजट की स्वीकृति

State	City	Budget Approved by
Andhra Pradesh	Vijayawada	City Government
Bihar	Patna	State government
Chhattisgarh	Raipur	State government
Delhi	Delhi	City Government
Goa	Panaji	City Government
Gujarat	Ahmedabad	City Government
Haryana	Gurugram	State government
Himachal Pradesh	Dharamshala	State government
Jharkhand	Ranchi	State government
Karnataka	Mangaluru	City Government
Kerala	Kochi	City Government
Madhya Pradesh	Bhopal	City Government
Maharashtra	Mumbai	City Government
Odisha	Bhubaneswar	City Government
Punjab	Amritsar	City Government
Rajasthan	Udaipur	State government
Tamil Nadu	Coimbatore	State government
Telangana	Warangal	State government
Uttar Pradesh	Lucknow	State government
Uttarakhand	Dehradun	City Government
West Bengal	Kolkata	City Government

### निर्देशक सिद्धांत – बजट को अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार परिषद के पास होना चाहिए

- शासन-प्रणाली में तीसरे स्तर पर मौजूद होने के नाते शहर की सरकार को वित्तीय स्वायत्तता दी जानी चाहिए ताकि वह नगरपालिका के बजट पर निर्णय ले सके। बजट को अंतिम स्वीकृति देने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं होना चाहिए।


### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अध्ययन में शामिल 21 राज्यों में से 12 राज्यों में शहर की सरकार के पास बजट को स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है।
- 9 राज्यों में शहर की सरकार द्वारा तैयार किए गए बजट का अंतिम अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

## 5.8 असत्यापित विवरण- तैयारी से लेकर बजट निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया

State	City	Budget approval process	Budget per capita (Rs.) (FY 2018-19)
Andhra Pradesh	Vijayawada	Commissioner → Standing Committee → Council	14,180
Bihar	Patna	Commissioner → Standing Committee → Council → State Government	24,129
Chhattisgarh	Raipur	Commissioner → MIC → Council → State Government	25,430
Delhi	Delhi	Commissioner → Standing Committee → Council	17,128
Goa	Panaji	Standing Committee → Council	17,467
Gujarat	Ahmedabad	Commissioner → Standing committee → Council	12,387
Haryana	Gurugram	Commissioner → Council → State Government	21,480
Himachal Pradesh	Dharamshala	Finance Standing Committee → Council → State Government	14,503
Jharkhand	Ranchi	Standing committee → Council → State Government	15,325
Karnataka	Mangaluru	Finance Committee → Council	10,755
Kerala	Kochi	Finance committee → Council	16,112
Madhya Pradesh	Bhopal	Commissioner → MIC → Mayor → Council	11,083
Maharashtra	Mumbai	Commissioner → Standing Committee → Council	21,982
Odisha	Bhubaneswar	Tax Finance Accounts Standing Committee → Council	5,117
Punjab	Amritsar	Commissioner → Municipal Council	3,532
Rajasthan	Udaipur	Committee → Council → State Government	5,422
Tamil Nadu	Coimbatore	Commissioner → Standing Committee → Council → State Government	11,206
Telangana	Warangal	Commissioner → Council → State Government	17,466
Uttar Pradesh	Lucknow	Commissioner → Karyakarni Samiti → Council → State Government	7,771
Uttarakhand	Dehradun	Commissioner → Karyakarni Samiti → Council → State Government	5,699
West Bengal	Kolkata	Secretary of Corporation → Commissioner → Mayor → Concerned MMIC → Council	11,565

## 5.9 शहर की सरकार को वित्तीय अनुमोदन का अधिकार



### निर्देशक सिद्धांत - वित्तीय अनुमोदन के अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए

- शहर की सरकारों के पास विभिन्न स्तरों पर जैसे कि विमर्शी मंच (क्षेत्रीय सभा और वार्ड समिति), विषय-विचारिणी समिति/स्थायी समिति / महापौर की परिषद जैसे निर्णय लेने वाले मंचों के पास वित्तीय अनुमोदन का अधिकार होना चाहिए तथा यह अधिकार राशि के अवरोही क्रम में होना चाहिए।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- केवल मुंबई शहर की वार्ड सभा को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं।
- गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में शहरों की विषय-विचारिणी समिति/स्थायी समिति / महापौर की परिषद को वित्तीय शक्तियाँ दी गई हैं।
- झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन आवश्यक है।

Financial Power to the ward committee	Yes <span style="color: orange;">●</span>
Financial Power to Subject Committee/Standing committee/Mayor-in-council	Yes <span style="color: green;">●</span>
Financial approval of State Government	Yes <span style="color: blue;">●</span>

## 5.9 असत्यापित विवरण- वित्तीय अनुमोदन का अधिकार

State	City	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Andhra Pradesh	Vijayawada	-	-	-	-	-	up to 20 lakh	up to 50 lakh	50 lakh and above	-	-	30 lakh
Bihar	Patna	-	-	-	up to 60 lakh	-	60 lakh to 2 crores	NA	above 2 crores unlimited	-	-	2 crore
Chhattisgarh	Raipur	-	-	-	up to 50 Lakhs	-	-	50 lakh to 1.5 cr	1.5-5 crore	-	above 5 crore	4 Lakh
Delhi	Delhi	-	1 crore	-	up to 5 crores	-	-	-	above 5 crore	-	-	50 lakh#
Goa	Panaji	-	-	-	50,000	-	5 lakhs	-	-	-	-	No
Gujarat	Ahmedabad	-	-	up to 10 lakh	10-30 lakh	-	30-50 lakh	above 50 lakh	above 50 lakh	-	-	1 crore per ward
Haryana	Gurugram	-	-	NA	up to 2 crore	-	up to 2.5 crore	NA	up to 2.5 crore	-	above 2.5 crore	No
Himachal Pradesh	Dharamshala	-	-	NA	up to 10 lakh	-	-	-	Above 10 lakh	-	-	2 lakh
Jharkhand	Ranchi	No	No	-	Up to 5 crores	-	-	No	Up to 5 crores	-	Above 5 crores	
Karnataka	Mangaluru	No	No	-	50 lakhs	-	Up to 1 crore	No	up to 2 crores	2-5 crores*	above 5 crores	50 lakh
Kerala	Kochi	No	No	No	No	no limit	1 lakh	-	5 crores	-	-	60 lakh

- 1 Ward Committee  
2 Zonal Committee  
3 Deputy Commissioner  
4 Commissioner

- 5 Mayor  
6 Standing Committee/Subject Committee  
7 Steering Committee/Mayor-in-Council  
8 Council

- 9 Commissionerate/ collector  
10 State government  
11 Councillor Fund

\* by Collector  
# edmc - no fund

... table continue

## 5.9 असत्यापित विवरण- वित्तीय अनुमोदन का अधिकार

State	City	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Madhya Pradesh	Bhopal	No	No	No	2 cr	5 cr	No	5cr	above 5 cr	-	-	30 lakh
Maharashtra	Mumbai	5 lakh	-	10-15 lakh	50-75 lakh	7.5 cr/year	-	-	above 50 lakh	-	-	60 lakh
Odisha	Bhubaneswar	0	0	-	1 crore	-	-	-	4 crore	-	above 4 crore	90 lakh
Punjab	Amritsar	No	No	No	20,000	25,000	No Limit	-	No limit	-	-	No
Rajasthan	Udaipur	No	No	No	2 crores	5 crores	No	-	-	-	-	No
Tamil Nadu	Coimbatore	-	up to 5 lakh	-	5-10 lakh	10-20 Lakh	20-50 lakh	-	50 lakh - 1 cr	1-5 cr	above 5 cr	No
Telangana	Warangal	No	No	No	10 Lakhs	No	No	No	50 lakhs- 2 crores	-	Above 2 crores	50 lakhs*
Uttar Pradesh	Lucknow	0	0	-	up to 10 lakh	15 lakh	-	-	up to 20 lakh	-	above 20 lakh	96 lakh

1 Ward Committee

2 Zonal Committee

3 Deputy Commissioner

4 Commissioner

5 Mayor

6 Standing Committee/Subject Committee

7 Steering Committee/Mayor-in-Council

8 Council

9 Commissionerate/ collector

10 State government

11 Councillor Fund

\* bcouncil can decide as per availability of budget

06




## सक्रिय जनभागीदारी तथा नागरिक शिकायत निवारण तंत्र

- वार्ड समिति की स्थिति
- क्षेत्रीय सभा की स्थिति
- सक्रिय जनभागीदारी
- नागरिक अधिकार-पत्र
- शिकायत निवारण तंत्र

आगामी विषयों में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांत 22 और 23 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय परामर्श में अर्बन एजेंडा के निर्माण के लिए बुनियादी सिद्धांतों के रूप में विचार-विमर्श के लिए मुद्दे हैं।

## 6.1 वार्ड समिति की स्थिति




निर्देशक सिद्धांत – वार्ड निर्वाचन-क्षेत्र के स्तर पर, वार्ड समिति को एक विमर्शी मंच के रूप में काम करना चाहिए।

- वार्ड समिति को परिचर्चा का आयोजन करना चाहिए।
- क्षेत्रीय सभाओं के सुझावों को समेकित करना चाहिए और समग्र रूप से वार्ड के विकास हेतु उन पर चर्चा की जानी चाहिए।

### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- सभी राज्यों के नगर-निगम अधिनियम में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान है।
- हालांकि केवल धर्मशाला, दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद, मंगलुरु, मुंबई, कोच्चि और भुवनेश्वर में वार्ड समितियों का गठन किया गया है।
- गठित की गई वार्ड समितियों में से केवल धर्मशाला, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोच्चि और भुवनेश्वर की वार्ड समितियां सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।
- दिल्ली, मुंबई, पणजी, कोयम्बटूर, विजयवाड़ा और रायपुर जैसे शहरों में वार्ड समितियों का गठन आंचलिक स्तर पर किया गया है। अन्य सभी शहरों में वार्ड समितियों का गठन वार्ड के निर्वाचन-क्षेत्र के आधार पर किया गया है।

## 6.2 क्षेत्रीय सभा की स्थिति




**निर्देशक सिद्धांत – शहर की सरकार को क्षेत्रीय सभा के जरिए जनभागीदारी के माध्यम से विचार-विमर्श हेतु अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।**

- मॉडल नगर राज विधेयक तथा जेएनएनयूआरएम (JNNURM) में क्षेत्रीय सभाओं के गठन पर बल दिया गया है। क्षेत्रीय सभा में समाज के निचले तबके के लोगों के साथ-साथ लैंगिक आधार पर समान प्रतिनिधित्व के साथ समाज के हर वर्ग का समावेश होना चाहिए। क्षेत्रीय सभाओं के माध्यम से योजना निर्माण एवं बजट निर्माण की प्रक्रिया में जनभागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
- क्षेत्रीय सभाओं के गठन हेतु प्रावधान बनाए जाने चाहिए तथा इनका गठन करना एवं इन्हें कार्यरत रखना भी आवश्यक है।

### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, कोलकाता, झारखंड और बिहार के नगर-निगम अधिनियम में क्षेत्रीय सभाओं के गठन का प्रावधान है।
- हालांकि, केवल धर्मशाला में क्षेत्रीय सभाओं का गठन किया गया है।

## 6.3 सक्रिय जनभागीदारी



### निर्देशक सिद्धांत – शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय जनभागीदारी होनी चाहिए


- शहर की सरकारों द्वारा सहभागितापूर्ण शासन व्यवस्था एवं सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय जनभागीदारी बेहद आवश्यक है।
- बजट निर्माण एवं मुख्य योजना निर्माण के साथ-साथ स्मार्ट सिटी मिशन जैसी अन्य परियोजनाओं में भी क्षेत्रीय सभा और वार्ड समिति स्तर पर नागरिकों की भागीदारी होनी चाहिए।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- 21 शहरों में से केवल धर्मशाला में ही क्षेत्रीय सभा के स्तर पर नागरिकों की भागीदारी होती है।
- 21 शहरों में से केवल मंगलुरु, धर्मशाला, अहमदाबाद, भोपाल और भुवनेश्वर में वार्ड समितियों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी होती है और वे इनकी बैठकों में भाग लेते हैं।
- 21 शहरों में से केवल धर्मशाला, मैंगलोर, कोच्चि, भोपाल और भुवनेश्वर में बजट निर्माण प्रक्रिया में नागरिक हिस्सा लेते हैं।
- स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में केवल भुवनेश्वर में जनभागीदारी होती है।
- अध्ययन में शामिल 21 शहरों में से 15 शहरों में जनभागीदारी बिल्कुल नहीं होती है।

Public Participation	
Public participation in Area Sabha	Yellow Hand
Public participation in Ward Committees	Blue Hand
Public Participation in Budget making	Red Hand
Public Participation in Smart City	Green Hand
No Public Participation at all	Black Hand
* Not part of SCM	

## 6.4 नागरिक अधिकार-पत्र




निर्देशक सिद्धांत - सेवाओं के प्रभावपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने तथा नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होने के लिए शहर की सरकार द्वारा नागरिक अधिकार-पत्र जारी करना बेहद आवश्यक है

- शहर की सरकार वास्तव में सेवाओं के निस्तारण की संस्था है। अतः शहर की सरकार के लिए प्रशासन को उत्तरदायी बनाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिकों को शहर सरकार की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिक अधिकार-पत्र का होना बेहद आवश्यक है।

### महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अध्ययन में शामिल शहरों के अंतर्गत केवल पटना और देहरादून को छोड़कर शेष सभी शहरों में नागरिक अधिकार-पत्र मौजूद हैं।

## 6.5 नागरिक शिकायत निवारण तंत्र



**निर्देशक सिद्धांत – अलग-अलग स्वरूप में अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए नागरिकों के पास एक प्रौद्योगिकी सक्षम औपचारिक मंच होना चाहिए।**

- नागरिक शिकायत निवारण के मंच के तौर पर क्षेत्रीय सभा, वार्ड पार्षद, विभिन्न समितियों और परिषद की मौजूदगी के अलावा, नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक औपचारिक मंच होना चाहिए। शहर में वितरित की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए शिकायत निवारण तंत्र को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए और फिर संबंधित विभाग तक इन शिकायतों को पहुंचाने वाली स्वचालित तकनीक होनी चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र में प्रतिक्रिया दर्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा शिकायत का समापन नागरिकों द्वारा किया जाना चाहिए।

### महत्वपूर्ण तथ्य

- सभी राज्यों में नागरिकों की शिकायत दर्ज करने एवं उनके समाधान हेतु शिकायत निवारण तंत्र मौजूद हैं।
- रायपुर और मैंगलोर जैसे शहरों में शहर की सरकार के स्तर पर नागरिक शिकायत तंत्र उपलब्ध नहीं है परंतु इसके लिए राज्य के निवारण तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।
- धर्मशाला में शहर की सरकार के स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है जिसमें विभिन्न तरीकों को एकीकृत किया गया है तथा इसमें प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही इसमें प्रतिक्रिया दर्ज करने की व्यवस्था है और शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी तैयार की जाती है।

### Citizen Grievance Redressal

Existing Grievance mechanism of city government	✓
Integration of different modes	✓
Use of technology	✓
Feedback mechanism	✓
Action Taken Report	✓
Complaint closed by citizens	✓
Grievance mechanism not exist	✗

## 6.5 असत्यापित विवरण- नागरिक शिकायत निवारण तंत्र

State	City	Existing Grievance mechanism of city government	●	●	●	●	●	●
Andhra Pradesh	Vijayawada	Yes - online after registration, by hand and on call	no	no	yes	no	city government	yes
Bihar	Patna	Toll free number exists	no	no	no	no	city government	NA
Chhattisgarh	Raipur	online after registration, by hand and on call	yes	yes	yes	yes	city government	yes
Delhi	Delhi	Yes - online, by hand, app and on call	no	yes	yes*	yes	city government	Yes
Goa	Panaji	grievance redressal officer is appointed	no	no	no	no	city government	yes
Gujarat	Ahmedabad	Toll free number exists, online, sms, email	yes	yes	yes	no	city government	yes
Haryana	Gurugram	yes - online, call and by hand	yes	yes	no	yes	city government	yes
Himachal Pradesh	Dharamshala	app, call	yes	yes	yes	yes	city government	yes
Jharkhand	Ranchi	Helpline Number, email	no	no	no	no	city government	yes
Karnataka	Mangaluru	No	yes	yes	yes	yes	State government	yes
Kerala	Kochi	yes - online, by hand	no	yes	yes	no	city government	yes
Madhya Pradesh	Bhopal	yes - online, by hand, toll free	no	yes	yes	#	##	yes
Maharashtra	Mumbai	yes	yes	yes	no	yes	city government	yes
Odisha	Bhubaneswar	yes - online, call, hand	yes	yes	yes	no	city government	yes
Punjab	Amritsar	Toll free number exists	no	no	no	no	city government	yes
Rajasthan	Udaipur	City government - Online	no	no	suggestions	no	city government	yes
Tamil Nadu	Coimbatore	Commissioner grievance day	no	Yes	Yes	no	city government	yes
Telangana	Warangal	Toll free number exists, app, online	no	yes	yes	no	city government	yes
Uttar Pradesh	Lucknow	lok mangal divas, call, online	no	no	no	no	city government	yes
Uttarakhand	Dehradun	call, online	no	no	no	no	city government	no
West Bengal	Kolkata	Online, by hand	yes	yes	no	no	city government	yes

- Integration of different modes    ● Feedback mechanism    ● Complaint closed by  
● Use of technology    ● Action Taken Report    ● Citizen Charter

# State government portal complains generate action taken report

## State government portal complaints are closed by the citizens

\*only on app and call

07



## संग्रह

- राज्यों का प्रालेख
- शहरों का प्रालेख

## 7.1 संलग्नक 1 - राज्यों का प्रालेख (2011 की जनगणना के अनुसार)

Sr No	State	Acts in the States	Urban Population	Rural population	Total population	% of Urban population
1	Andhra Pradesh	Greater Hyderabad Municipal Corporation Act, 1955 Vishakhapatnam Municipal Corporation Act, 1979 Andhra Pradesh Municipal Corporation Act, 1994	2,82,19,075	5,63,61,702	8,45,80,777	33.4
2	Bihar	Bihar Municipal Corporations Act, 2007	1,17,58,016	9,23,41,436	10,40,99,452	11.3
3	Chhattisgarh	Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956	59,37,237	1,96,07,961	2,55,45,198	23.2
4	Delhi	The Delhi Municipal Corporation Act, 1957	1,63,68,899	4,19,042	1,67,87,941	97.5
5	Goa	City of Panaji Corporation Act 2002	9,06,814	5,51,731	14,58,545	62.2
6	Gujarat	Gujarat Provincial Municipal Corporations Act, 1949	2,57,45,083	3,46,94,609	6,04,39,692	42.6
7	Haryana	Haryana Municipal Corporation Act 1994	88,42,103	1,65,09,359	2,53,51,462	34.9
8	Himachal Pradesh	Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994	60,77,900	68,64,602	1,29,42,502	47.0
9	Jharkhand	Jharkhand Municipal Act 2011	79,33,061	2,50,55,073	3,29,88,134	24.0
10	Karnataka	Karnataka Municipal Corporation Act 1976 Karnataka Municipalities Act, 1964	2,36,25,962	3,74,69,335	6,10,95,297	38.7
11	Kerala	Kerala Municipality Act 1994	1,59,34,926	1,74,71,135	3,34,06,061	47.7
12	Madhya Pradesh	MP Municipal Corporation Act 1956 MP Municipalities Act 1961	2,00,69,405	5,25,57,404	7,26,26,809	27.6
13	Maharashtra	Mumbai Municipal Corporation Act, 1888 Maharashtra Municipal Corporation Act, 1949	5,08,18,259	6,15,56,074	11,23,74,333	45.2
14	Odisha	Odisha Municipal Act, 2003	70,03,656	3,49,70,562	4,19,74,218	16.7
15	Punjab	The Punjab Municipal Corporations Act, 1976 The Punjab State Municipalities Act, 1976	1,03,99,146	1,73,44,192	2,77,43,338	37.5
16	Rajasthan	the Rajasthan Municipalities Act 2009	1,70,48,085	5,15,00,352	6,85,48,437	24.9

## 7.1 संलग्नक 1 - राज्यों का प्रालेख (2011 की जनगणना के अनुसार)

Sr No	State	Acts in the States	Urban Population	Rural population	Total population	% of Urban population
17	Tamil Nadu	Chennai City Municipal Corporation Act, 1919 Coimbatore City Municipal Act, 1981	3,49,17,440	3,72,29,590	7,21,47,030	48.4
18	Telangana	Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) Act, 1955 Telangana Municipal Corporation (TMC) Act, 1994	13,60,90,000	21,39,50,000	35,00,40,000	38.9
19	Uttar Pradesh	U.P. Municipal Corporation (UPMC) Act, 1959.	4,44,95,063	15,53,17,278	19,98,12,341	22.3
20	Uttarakhand	Uttar Pradesh Municipal Corporations (UPMC) Act, 1959	30,49,338	70,36,954	1,00,86,292	30.2
21	West Bengal	Kolkata Municipal Corporation Act 1980	2,90,93,002	6,21,83,113	9,12,76,115	31.9

## 7.2 संलग्नक 2 - शहरों का प्रालेख (2011 की जनगणना के अनुसार)

Sr No	State	City	Status - Corporation/ Council	Area (Sq.km)	Population	Density (persons per sq.km)	No of wards
1	Andhra Pradesh	Vijayawada	Corporation	61.88	10,39,518	16,799	59
2	Bihar	Patna	Corporation	109	16,84,222	15,452	75
3	Chhattisgarh	Raipur	Corporation	226	10,10,433	4,471	70
4	Delhi	Delhi	Corporation	1497	1,10,34,555	7,371	272
5	Goa	Panaji	Corporation	8.12	40,017	4,928	30
6	Gujarat	Ahmedabad	Corporation	466	55,77,940	11,970	48
7	Haryana	Gurugram	Corporation	87	3,57,334	4,107	20
8	Himachal Pradesh	Dharamshala	Corporation	27.6	53,543	1,940	17
9	Jharkhand	Ranchi	Corporation	652	10,73,427	1,646	53
10	Karnataka	Mangaluru	Corporation	87	4,76,000	5,471	60
11	Kerala	Kochi	Corporation	94	6,02,046	6,405	74
12	Madhya Pradesh	Bhopal	Corporation	648	17,98,218	2,775	85
13	Maharashtra	Mumbai	Corporation	458	1,24,00,000	27,074	227
14	Odisha	Bhubaneswar	Corporation	186	8,40,834	4,521	67
15	Punjab	Amritsar	Corporation	170	11,32,761	6,663	85
16	Rajasthan	Udaipur	Corporation	64	4,51,100	7,048	55
17	Tamil Nadu	Coimbatore	Corporation	105.6	16,01,438	15,165	100
18	Telangana	Warangal	Corporation	471	6,27,449	1,332	58
19	Uttar Pradesh	Lucknow	Corporation	349	28,17,105	8,072	110
20	Uttarakhand	Dehradun	Corporation	64.6	5,69,578	8,817	100
21	West Bengal	Kolkata	Corporation	205	44,96,694	21,935	144

# सहभागी

S.No.	Name	Organisation
1	A. K. Gupta	Additional Director, RCUES, Lucknow
2	Aditya Batra	eGovernments Foundation
3	Ajay Singhal	Councillor, Dehradun Municipal Corporation
4	Alok Shiromany	Consultant, Expert, Urban Finance
5	Amar Deep Singh	Senior Programme Officer, CUTS International, Jaipur
6	Amit	Sarokar Media Group
7	Amita Bhide	Dean, School of Habitat Studies, TISS, Mumbai
8	Amita Singh	Councillor, Dehradun Municipal Corporation
9	Ananta Suneja	Intern, Praja Foundation
10	Anantharaman	Chief Human Resource and Compliance Officer, Unichem Laboratories
11	Angelica	Friedrich Naumann Foundation
12	Anil Singhal	Former Garage Committee Chairperson, Udaipur, Municipal Corporation
13	Anindya Roy	General Manager, Tata Sons Pvt. Ltd., Mumbai
14	Anjali Sharma	Intern, Praja Foundation
15	Ankur Sarin	Professor, IIM, Ahmedabad
16	Anoop Nautiyal	Founder Chairperson, Gati Foundation, Dehradun
17	Arshpreet Kaur	Intern, Praja Foundation
18	Arun Mehra Pappal	Former Councillor, Amritsar Municipal Corporation
19	Arun Pandya	Municipal Secretary, Ahmedabad Municipal Corporation
20	Ashish Sinha	Councillor, Patna Municipal Corporation
21	Ashwini Kumar Sundaray	Former Councillor, Bhubaneswar Municipal Corporation
22	Atul Goel	President, United Residents Joint Action of Delhi
23	Aviral Dubey	Project Officer, Praja Foundation
24	B.K. Taimni	Former Secretary, GOI (ICCFG)
25	Baskar Srinivasan	Trustee, IC Centre for Governance, Coimbatore
26	Bhupender Singh Kathait	Councillor, Dehradun Municipal Corporation
27	Bibhu Prasad Sahu	Secretary, Senior Researcher, YSD, Bhubaneswar
28	C.P Singh	Former Urban Development Minister, Govt. of Jharkhand

S.No.	Name	Organisation
29	Chakshu Roy	Head, Legislative and Civic Engagement Initiative, PRS Legislative Research, Delhi
30	Chandra	NIUA
31	D. Dhanuraj	Chairman, Centre for Public Policy Research, Kochi
32	Debolina Kundu	Professor, National Institute of Urban Affairs, Delhi
33	Dhananjay Mehta	Former Councillor, Patna Municipal Corporation
34	Dhiraj Ajay Suri	Regional Manager, Asia, Cities Alliance, Bangkok
35	Satpal Singh	Urban Sociologist CRO
36	Frank Hoffmann	Interim Head, FNF South Asia, Delhi
37	G. Chandra Shekhar Gowda	COO, Sulochana Thapar Foundation, Pune
38	Gagandeep Kaur	Intern, Praja Foundation
39	Gautham Ravichander	Head, Policy Initiatives, eGovernments Foundation
40	Gupta	China India Foundation
41	Guruprasad Kamble	Project Officer, Praja Foundation
42	H.M. Mishra	Senior Consultant, AIGGPA, Bhopal
43	Harshil Suresh	Project Officer, Praja Foundation
44	J. Mandakini	Fellow, Praja Foundation
45	Jagadananda	Founder, CYSD, Bhubaneswar
46	Jagdeep Chhokar	Founder, Association for Democratic Reforms, Delhi
47	Jagmohan Singh	Founder, Lok Kalyan Samiti, Amritsar
48	Jarnail Singh Dhot	Councillor, Amritsar Municipal Corporation
49	J. P. Singh	ICCFG
50	Jayaprakash Narayan	General Secretary, Foundation for Democratic Reforms, Hyderabad
51	Jayeshbhai Trivedi	Deputy Chairperson, Health and SWM Committee, Ahmedabad Municipal Corporation
52	K.R. Subramanian	China India Foundation
53	Karamjit Singh	Mayor, Amritsar Municipal Corporation
54	Karishma Khattar	eGovernments Foundation
55	Kishore Anant Sastry	Councillor, Panaji Municipal Corporation

S.No.	Name	Organisation
56	K Sinha	Desh Ki Awaz
57	Laveesh Bhandari	Founder, Indicus Foundation, Delhi
58	Leeladhar P. Chandrakar	Former Councillor, Raipur Municipal Corporation
59	M.C. Verma	Former Technical Advisor, UNDP (ICCFG)
60	Mahesh Kapoor	Former Advisor, Planning Commission, Delhi (ICCFG)
61	Manas Gubbi	Fellow, Praja Foundation
62	Manish Shukla	Video Content Producer
63	Manoj Pandey	Urban Governance Expert, Centre for Urban Development and Research, Patna
64	Manvita Baradi	Director, Urban Management Centre, Ahmedabad
65	Meera K	Co-Founder, Citizen Matters, Bengaluru
66	Meghna Bandelwar	Project Officer, Praja Foundation
67	Meghna Malhotra	Urban Management Centre, Ahmedabad
68	Mercy Samuel	Associate Professor, CEPT, Ahmedabad
69	Milind Mhaske	Director, Praja Foundation
70	Mithika	CEPT University
71	Mohammed Abu Bakkar	Councillor, Warangal Municipal Corporation
72	Naimur Rahman	Advisor, LOGIN Asia
73	Nazeer Hussain	Former Chairperson, Cultural and Educational Committee, Vijayawada Municipal Corporation
74	Nitai Mehta	Managing Trustee, Praja Foundation
75	Nivedita Rao	Deputy Manager, Tata Sons Pvt. Ltd., Mumbai
76	Nupur Hasija	Senior Programme Manager, FNF South Asia, Delhi
77	Nupur Singh	Intern, Praja Foundation
78	Pallavi Kakaji	Manager, Praja Foundation
79	Pallab Deb	Research Associate, Nagrika
80	Partha Mukhopadhyay	Senior Fellow, Centre for Policy Research, Delhi
81	Pooja Verma	Project Officer, Praja Foundation
82	P.P. Balan	Ministry of Panchayati Raj, Delhi
83	Prabhakar Kumar Prajapati	Project Officer, Koshish Charitable Trust, Patna
84	Prabhat Kumar	President, IC Centre for Governance
85	Pramay Prakash Mainkar	Councillor, Panaji Municipal Corporation
86	Prateek Khattri	IWE-Delhi
87	Priyanka Sharma	Head - Capacity Building, Praja Foundation

S.No.	Name	Organisation
88	Priyanshi Verma	Intern, Praja Foundation
89	Rachita Vora	Co-founder, India Development Review, Mumbai
90	Radha Karmarkar	Research Associate, Nagrika
91	Rajan Mehra	Advisor, Praja Foundation
92	Rajesh	Data Collection Officer, Praja Foundation
93	Rakesh Mishra	NIUA
94	Ram Kishor Prasad Singh	General Secretary, Gram Evam Nagar Vikas Parishad, Patna
95	Rohan Chandel	Councillor, Dehradun Municipal Corporation
96	Rohin Tharakan	U Chicago Trust
97	Roshan Kumar Didla	Director, Seeds Organization, Vijayawada
98	Rupesh	Office Assistant, Praja Foundation
99	S.K. Nizamuddin	Former Finance Committee Chairperson, Bhubaneswar Municipal Corporation
100	Saeeda Khan	Councillor, Municipal Corporation, Greater Mumbai
101	Sakshi	Intern, Praja Foundation
102	Samradh Singh Chauhan	Project Scientist, IIT-Delhi
103	Sandeep Khare	Secretary, Vigyaan Foundation, Lucknow
104	Sanjay Ubale	Director, Partnerships, India, BMGF, Delhi
105	Sanjeev Vijayvergia	Deputy Mayor, Ranchi Municipal Corporation
106	Santosh	Media
107	Satarupa Bhattacharya	National Editor, Citizen Matters, Bengaluru
108	Satnam Singh Panag	Councillor, Raipur Municipal Corporation
109	Satpal Singh	NIUA
110	Shanti Narain	Former Member, Traffic Railway Board (ICCFG)
111	Shreekumar Menon	Councillor, Raipur Municipal Corporation
112	Shriya Setvi	U Chicago Trust
113	Shubham Singh	Data Collection Officer, Praja Foundation
114	Shuchi Singh	Intern, Praja Foundation
115	Shuchita Thapar	Programme Manager, FNF South Asia, Delhi
116	Simran Kaur	Intern, Praja Foundation
117	Srikanth Viswanathan	CEO, Janaagraha, Bengaluru
118	Sumangali Gada	Founder Trustee, Praja Foundation

S.No.	Name	Organisation
119	Sunny George	Director, Kerala Institute of Local Administration, Thrissur
120	Surbhi Gupta	Intern, Praja Foundation
121	Swati Kaushal	Video Content Producer
122	Syed Yawar Hussain	Councillor, Lucknow Municipal Corporation
123	Tanya Rohatgi	China India Foundation
124	Tara Krishnaswamy	Co-founder, Citizens for Bengaluru and Shakti
125	Tarini Sudhakar	Centre for Civil Society
126	Tariq Mustafa	Associate Investments, Omidyar Network, Bengaluru
127	Tarun Sharma	Co-founder, Nagrika, Dehradun
128	Tikender Singh Panwar	Former Deputy Mayor, Shimla Municipal Corporation
129	V. Ravichandar	Chairman, Feedback Consulting, Bengaluru
130	V.N. Alok	Associate Professor, Indian Institute of Public Administration, Delhi
131	Vidya Dinker	Coordinator, Citizens Forum for Mangaluru Development, Mangaluru
132	Viraj Tyagi	Chief Executive Officer, eGovernments Foundation, Bengaluru
133	Vivek Asrani	Trustee, Praja Foundation
134	Yazad Jal	Director, Centre for Civil Society, Delhi
135	Yogesh Mishra	Head-Research & Data, Praja Foundation
136	Yogesh Sagar	MLA, Former UD Minister, Govt. of Maharashtra



## PRAJA FOUNDATION

### Mumbai (HO)

Victoria Building, 1st Floor, Agiary Lane,  
Off Mint Road, Fort, Mumbai - 400001  
Tel. : +91-022-2261 8042

### Delhi

Room No. 215, 2nd Floor, Competent House,  
F- Block, Connaught Place, Middle Circle,  
New Delhi - 110001  
Tel. : +91-011-23321559

-  [www.praja.org](http://www.praja.org)
-  [info@praja.org](mailto:info@praja.org)
-  [praja.org](https://www.facebook.com/praja.org)
-  [PrajaFoundation](https://www.youtube.com/PrajaFoundation)
-  [prajafoundation](https://twitter.com/prajafoundation)